राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत
प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टी ओ टी)-III पर
प्रशिक्षण मॉड्यूल

ई टी सी / आर आई आर डी / विख्यात एन जी ओ साझेदारों के लिए

स्व-रोजगार एवं ग्रामीण उद्यम केन्द

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान

राजेन्द्रनगर, हैदराबाद 500 030

विषयसूची

प्रस्तावना		3
प्रारंभिक सत्र		6
विषय I -	गरीबी विश्लेषण	6
विषय II-	स्व-सहायता समूह	10
विषय III -	स्व-सहायता समूह संघ	20
विषय IV -	एस जी एस वाई	26
विषय V -	एन आर एल एम की प्रस्तावना	28
विषय VI -	एन आर एल एम के अंतर्गत संस्था निर्माण एवं क्षमता निर्माण	30
विषय VII-	स्व-सहायता समूह और स्व-सहायता समूह संघ	35
विषय VIII-	आजीविका पद्धतियाँ	35
विषय IX-	सूक्ष्म ऋण योजना	44
विषय X -	पूर्वावलोकन	46

गैर-गहन ब्लॉकों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन आर एल एम) पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टी ओ टी) (विभिन्न स्टेकहोल्डर जैसे पी. आर. आई. , बैंक प्रबंधकों, सी. एस. ओ. तथा लाईन विभागों के कार्यकर्ताओं , एस. एल. जी. नेता , खंड और ग्राम स्तर ग्रामीण विकास अधिकारियों के लिए)

प्रस्तावना :

देश में 25 करोड़ से अधिक ग्रामीण जनसंख्या तुलनात्मक रुप से उच्च जी डी पी वृद्धि दर के बावजूद गरीबी में जकडी हुई है । भारत में ग्रामीण गरीबी बहु-आयामी है अर्थात् संसाधनो की कमी , इनमें से अधिकतर लोग सामाजिक रुप से सीमांत समूह हैं , इनके पास सीमित कौशल आधार है और ये अल्प उत्पादकता व्यवसायों में कार्यरत हैं । ऋण सहित बाजारों की व्यापक रेंज और सेवाओं तक परिवारों की पहुंच को गरीबी वंचित रखती है जो उनकी गरीबी को तीव्र करती है तथा उनकी खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और पौषणिक स्तर को प्रभावित करती है । इस दिशा में, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आस्तियों के सृजन तथा स्व-रोजगार के लिए सीधे गरीब परिवारों को लक्ष्य बनाया है तथा वर्ष 1980 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी) को आरंभ किया । वर्ष 1999 में एक बड़ा सुधार हुआ जब आई आर डी पी को स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई) में रुपांतरित किया गया । स्व-सहायता समूहों (एस एच जी) में गरीबों को संगठित करने के माध्यम से स्व-रोजगार गरीबी कम करने की नई नीति बन कर उभरी है और इस सिद्धान्त को व्यापक रुप से स्वीकृत किया गया । एस जी एस वाई की समीक्षा से कुछ कमियाँ सामने आई हैं जैसे ग्रामीण गरीबों के संग्रहण में व्यापक क्षेत्रीय भिन्नताएँ , लाभभोगियों की अपर्याप्त क्षमता निर्माण, समुदाय संस्थाओं के निर्माण हेतु अपर्याप्त निवेश तथा बैंको के साथ कमजोर संयोजन के कारण अल्प ऋण संग्रहण और पुन: कम वित्तपोषण आदि । गरीब उन्मुख संस्थाओं की कमी के कारण गरीबों को उत्पादकता वृद्धि , विपणन संयोजन, जोखिम प्रबंधन आदि के उच्चतम आदेश समर्थन सेवाओं को प्राप्त करना असंभव बनाया ।

अभी भी कई बी. पी. एल. परिवारों को स्व-सहायता समूहों में संगठित करने की आवश्यकता है । हालांकि वर्तमान स्व-सहायता समूहों को सुदृढ़ करने और अधिक वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता है । इसी कारण सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन आर एल एम) के रुप में एस जी एस वाई के पुनर्निमाण का अनुमोदन किया है । एन आर एल एम का जनादेश सभी गरीब परिवारों तक पहुँचना है, स्रोत

के अनुसार उनका क्षमता निर्माण करना, संस्थानिक ऋण का लाभ उठाने के लिए स्रोत का उपयोग करना तथा सतत् आजीविका अवसरों से उन्हें जोड़ना और उन्हें गरीबी से बाहर आने तक पालन-पोषण करना तथा जीवन की बेहतर गुणवत्ता का आनन्द उठाना है । इस तरह एन आर एल एम का मिशन लाभदायक स्व-रोजगार और कौशलपूर्ण मजदूरी रोजगार अवसरों को प्राप्त करने हेतु गरीब परिवारों को सक्षम बनाकर गरीबी कम करना है जिसके फलस्वरुप गरीबों के सुदृढ़ निम्नस्तरीय संस्थाओं के निर्माण के माध्यम से एक सतत् आधार पर उनकी आजीविका में प्रशंसनीय सुधार लाना । एन आर एल एम 5-6 वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से देश भर में एक मिशन मोड के रुप में कार्यान्वित किया जाएगा । वर्तमान में इसे लगभग 600 ब्लॉक में कार्यान्वित किया जा रहा है जिसे गहन ब्लॉक कहा जाता है, एन आर एल एम के प्रारंभ होने तक एस जी एस वाई जारी रहेगा तथापि, विभिन्न मॉड्यूलों के साथ गहन और गैर-गहन ब्लॉकों में टी ओ टी की योजना बनाई गई । गैर-गहन ब्लॉकों में एस एच जी के प्रतिपादन और उसके पोषण, एस एच जी संघों का प्रतिपादन तथा उनकी भूमिका, सूक्ष्म ऋण योजना और एन आर एल एम के बारे में माड्यूल जोर देता है ।

इस संबंध में ई टी सी / आर आई आर डी तथा कुछ संसाधन संगठन ग्रामीण समुदाय के करीब होने के कारण संकाय विशेषज्ञ, प्रशिक्षण आधारभूत संरचना तथा उन्हें प्रशिक्षण देने की पहुँच में रहने के कारण अधिक आदर्श रुप से संस्थापित है और एन आर एल एम में ग्रामीण विकास मंत्रालय के पहलुओं का समर्थन कर सकते हैं। दूसरा स्टेकहोल्डर दल के सदस्यों को सेन्सिटाईज करने के लिए टी. ओ. टी. की एक शृंखला आवश्यक है । आरंभ में हम 31 मार्च, 2013 तक ई. टी. सी. / आर आई आर डी के माध्यम से देश भर में लगभग उनमें से 300 कार्यक्रमों का आयोजन का प्रस्ताव कर रहे हैं।

टी. ओ. टी. के उद्देश्य निम्नानुसार हैं :

- एस एच जी का सुदृढीकरण , प्रतिपादन तथा एस एच जी का विकास और उनकी भूमिका के सिद्धान्त के साथ उन्हें सुसज्जित करना ।
- एन आर एल एम के सिद्धान्त और घटकों पर द्वितीयक स्टेकहोल्डर को सेन्सिटाईज करना ।
- एच जी और एस एच जी संघों द्वारा तैयार की जाने वाली सूक्ष्म ऋण योजना जानकारी देना ।
- उन्हें शैक्षणिक साधन और आवश्यक प्रशिक्षण माड्यूलों के व्यापक रेंज की सुविधा देना ।

अवधि

समुदाय के साथ एक दिवस पारस्परिक क्रिया के प्रावधान के साथ प्रत्येक टी. ओ. टी. के लिए 10 दिन की अवधि की योजना बनाई गई ।

व्याप्ति

- ❖ गरीबी विश्लेषण
- ❖ एस एच जी - एस एच जी गठन हेतु सहायता करना (स्व-सहायता, एस एच जी समूह का प्रतिपादन, बैठकों का आयोजन, एस एच जी के कार्य), एस एच जी का विकास और एस एच जी बैंक संयोजन
- ❖ एस एच जी संघ - आवश्यकता, सिद्धान्त, प्रमुख नियम, एस एच जी संघों के विभिन्न मॉडल, संघों के प्रतिपादन में निम्नलिखित प्रक्रिया, भूमिका तथा जिम्मेदारियाँ
- ❖ संस्था निर्माण और क्षमता निर्माण तथा द्वितीयक स्टेकहोल्डर की भूमिका और जिम्मेदारियाँ ।
- ❖ एस जी एस वाई - सिंहावलोकन, प्रगति और कमियाँ ।
- ❖ एन आर एल एम : क्या, क्यों तथा कैसे
- ❖ आजीविका , बेहतर कार्य , आजीविका समृद्धि में नवोन्मेषी तथा प्रक्रिया पहलू
- ❖ सूक्ष्म ऋण योजना

अपेक्षित निष्कर्ष

- ❖ गरीबों के संस्थाओं के निर्माण पर हितधारक संवेदीकरण
- ❖ एस जी एस वाई का एन आर एल एम के रुपांतरण में स्टेकहोल्डर की भूमिका पर स्पष्टता
- ❖ एन आर एल एम का सिद्धान्त और घटकों पर संवेदीकरण
- ❖ सतत् आजीविका समृद्धि हेतु अभिसरण के महत्व की प्रशंसा और
- ❖ प्रशिक्षण मॉड्यूल, सामग्री तथा शैक्षणिक साधनों की बेहतर जानकारी ।

आरंभिक सत्र :

उद्देश्य :

- ❖ प्रतिभागियों को एक दूसरे से परिचित कराना ।
- ❖ अधिक सहभागी ढंग से प्रशिक्षण चलाने के लिए मानकों की स्थापना ।
- ❖ प्रतिभागी को पाठ्यक्रम उद्देश्यों के बारे में जानकारी मिली ।

❖ पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के साथ अपेक्षाओं को पूरा करना ।

अवधि : 70 मिनट

अपेक्षित निष्कर्ष: कार्यक्रम का सिंहावलोकन ।

मॉड्यूल योजना

क्रम संख्या	समय	विषय	कवरेज	क्रियाविधि	आवश्यक सामग्री
1.	30 मिनट	प्रस्तावना	एक दूसरे से परिचित होना	चैन पद्धति प्रस्तावना	
2.	15 मिनट	प्रशिक्षण मानकों को स्थापित करना	प्रशिक्षण हेतु मानकों का निर्धारण करना	विचार विमर्श	चार्ट्स और मार्कर्स
3.	15 मिनट	कार्यक्रम की रुपरेखा	कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में बताना	स्लाईड शो: एस जी एस वाई क्या है स्पष्ट करें तथा एन आर एल एम में नया क्या है	कार्यक्रम सूची प्रदान करना
4.	10 मिनट	अपेक्षाओं का संग्रहण	अपेक्षाएँ और पाठ्यक्रम उद्देश्यों को मैच करना	एक कार्ड पर अपेक्षाएँ एकत्र करें तथा प्लेनरी में समेकित करें	कार्ड और स्केच पेन्स
कुल 70 मिनट एक घंटा 10/20 मिनट के सत्र के बाद 10 मिनट का ब्रेक दें					

विषय I - गरीबी विश्लेषण

उद्देश्य :

❖ एस एच जी के प्रतिपादन के बारे में दोहराना तथा बैंकों के साथ एस एच जी के संयोजन की पद्धति के बारे में बताना ।

- ❖ एस एच जी की गुणवत्ता एस एच जी का प्रतिपादन और पालन-पोषण किस ढंग से किया गया इस पर निर्भर करता है ।

अवधि : 100 मिनट

अपेक्षित निष्कर्ष: भविष्य में संस्था निर्माण के लिए एस एच जी के विकास के महत्व पर प्रतिभागी जानकारी और जागरुकता का विकास करेंगे ।

मॉड्यूल योजना:

क्रम संख्या	**समय**	**उप विषय / विषय**	**कवरेज**	**क्रियाविधि**	**आवश्यक सामग्री**
1.	30 मिनट	गरीबी क्या हैं	गरीबी की परिभाषा और स्पष्टीकरण	संवादात्मक भाषण पद्धति	पी पी टी, पारस्परिक क्रिया
2.	60 मिनट	गरीबी सूचक और शिनाख्त	❖ विभिन्न सूचक ❖ शिनाख्त की क्रियाविधि	पी ओ पी पद्धति, अभ्यास भाषण की नमूना शीट दिखाना	नमूना शीट पी पी टी
3.	10 मिनट	संक्षिप्त विवरण	❖ प्रश्न और उत्तर	व्यापक समूहपरिचर्चा	
कुल 100 मिन एक घंटा 10/20 मिनट के सत्र के बाद 10 मिनट का ब्रेक दें					

प्रशिक्षकों को सलाह

प्रशिक्षक ''गरीबी क्या है ?'' इस पर प्रशिक्षक सूचना मांग सकता है । ''उनके पड़ोस में कौन गरीब है और उसकी शिनाख्त कैसे की जाए '' की सूचना प्राप्त करें ।

हैण्ड आऊट

गरीबी और गरीबी रेखा क्या है ?

अल्प विकसित देशों का यह एक महत्वपूर्ण लक्षण है जहाँ प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है । गरीबी एक सामाजिक तथ्य है जहाँ समाज का एक भाग निम्न स्तर के जीवन से वंचित रह जाता है तथा यहाँ तक की जीवन की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नही होता है । भारत में गरीबी, कैलोरी के संबंध में भोजन की आवश्यकता , कपड़ा और मकान के रुप में व्यक्त की जाती है गरीबी को गरीबी रेखा से सूचित किया जाता है जो वितरण की रेखा पर कट ऑफ पाईंट है जो गरीब और गैर-गरीब का निर्णय करता है । उसे गिनने का अनुपात / गरीबी आय पद्धति भी कहा जाता है ।

गरीबी की परिभाषा : अंतर्राष्ट्रीय तुलना के लिए संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक ने प्रतिदिन $ 1 और $ 2 प्रतिदिन गरीबी रेखा को अपनाया हैं । भारत में, योजना आयोग ने वर्ष 1978 में डॉ. वाई. के. अलग की अध्यक्षता में '' न्यूनतम आवश्यकता और प्रभावी खपत मांग के प्रक्षेपण पर टास्क फोर्स'' द्वारा उपलब्ध कराई गई गरीबी की परिभाषा को अपनाया है । औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय वर्ग के रुप में इसे परिभाषित किया गया है जिसका ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलरी का प्रतिदिन उपभोग और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलरी का उपभोग है । इस आधार पर वर्ष 1973-74 मूल्यों पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रु. 49.09 और शहरी क्षेत्रों के लिए रु. 56.64 की कट ऑफ राशि रखी गई । समायोजित मुद्रास्फिति वर्तमान माह के लिए प्रति व्यक्ति व्यय क्रमश: रु. 256 और रु. 538 है । वर्ष 1998 में लकड़ावाला की अध्यक्षता वाली समिति ने गरीबी रेखा में राज्य विशेष परिवर्तनों की प्रस्तावना हेतु प्रस्ताव किया । एन एस एस ओ 61 एकरुप रिकॉल अवधि (यू आर पी) तथा मिश्रित रिकॉल अवधि (एम आर पी)द्वारा संकलित मासिक प्रति व्यक्ति व्यय पर अनुमानित गरीबी आधारित है । सभी मदों के लिए 30 दिवस एकरुप रिकॉल अवधि (यू आर पी) तथा मिश्रित रिकॉल अवधि (एम आर पी) द्वारा संकलित मासिक प्रति व्यक्ति व्यय पर अनुमानित गरीबी आधारित है साभी मदों के लिए 30 दिवस रिकॉल अवधि (इसे संदर्भ अवधि भी कहा जाता है) उपभोग कर उपभोग डाटा एकत्र किया गया । कभी-कभार खरीदने वाले पांच गैर खाद्य मद, जैसे , कपड़ा , चप्पल, टिकाऊ वस्तुएँ , शिक्षा और संस्थागत चिकित्सा व्यय के लिए 365 दिवस स्मरण अवधि उपभोग कर एकत्रित उपभोग व्यय डाटा से अन्य वितरण प्राप्त किये गये तथा शेष मदों के लिए 30 दिवस रिकॉल अवधि उपभोग की गई । जबकि यह दो विभिन्न स्मरण अवधियों का उपभोग करता है, इसे मिश्रित रिकॉल अवधि कहा जाता है । एन एस एस ओ 61 राउण्ड के अनुसार वर्ष 2004-05 में भारत में गरीबी का स्तर 21.8% रहा (यू आर पी पद्धति) तथा 27.5% (एम आर पी पद्धति) रहा और शहरी गरीबी के मुकाबले ग्रामीण गरीबी हमेशा अधिक रही है ।

हालही में 2 समितियाँ अर्थात् योजना आयोग द्वारा तेंदुलकर समिति का गठन किया गया तथा एम ओ आर डी द्वारा एन. सी. सक्सेना समिति का गठन किया गया । तेंदुलकर समिति की मुख्य सिफारिशों में कैलरी ग्रहण करने के मानदण्ड पर आधारित गरीबी रेखा को छोड़ते हुए सुझाव दिया गया कि मिश्रित रिकॉल अवधि पद्धति में एन एस एस ओ द्वारा एकत्रित परिवार उपभोग व्यय के आधार पर गरीबी आकलनों को जारी रखना चाहिए । एम आर पी शहरी गरीबी रेखा बास्केट के समान है, उचित समायोजन के पश्चात् सभी राज्यों में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के लिए पी एल बी नया संदर्भ है जिसका शहरी गिनती अनुपात 25.7 %समरुपी है । यातायात पर परिवहन को छोड़कर पी एल बी उपभोग के सभी मदों को हिसाब में लेती है और इसीलिए इन मदों के लिए अलग भत्तों की सिफारिश की गई । सिफारिश की गई पद्धति का उपभोग यू पी एल बी के आधार पर अखिल भारतीय गिनती अनुपात तथा ग्रामीण गिनती अनुपात की गणना की गई जो क्रमश: 37.2 % और 41.8 % है ।

एन. सी. सक्सेना समिति ने सूचित किया कि राष्ट्रीय गरीबी रेखा वर्ष 2004-05 के मूल्यों के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रु. 356 और 539 प्रति व्यक्ति प्रति माह है तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमश: 2400 और 2100 कैलरीस के मानदण्ड की तुलना में केवल 1820 के उपभोग करने की लोगों को अनुमति दी गई है । समिति ने महसूस किया कि कई लोग बी पी एल श्रेणी से बाहर रह गए हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रु. 700 और शहरी क्षेत्रों में रु. 1000 की कट ऑफ लाईन की सिफारिश की ।

गरीबों की शिनाख्त

क्रियाकलाप - प्रतिभागियों को बी पी एल लोगों की शिनाख्त करने हेतु सूचकों की सूची बनाने के लिए कहा गया ?

संभाव्य सूचक हैं :

- ❖ कोई भी भूमि नहीं या पांच सेन्ट से कम की भूमि
- ❖ कोई मकान नही या ध्वस्त मकान
- ❖ कोई स्वच्छ शौचालय नहीं
- ❖ बिना रंगीन टेलिविजन का परिवार
- ❖ परिवार में कोई भी नियमित रोजगार प्राप्त व्यक्ति नहीं
- ❖ सुरक्षित पेयजल की सुविधा नहीं

- ❖ शिक्षा की कोई सुविधा नहीं
- ❖ महिला प्रधान परिवार या विधवा या तलाकशुदा की उपस्थिति
- ❖ अत्यधिक अलाभान्वित और सीमांतकृत जैसे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (एस सी / एस टी) और असुरक्षित परिस्थितियों में जीने वाला परिवार
- ❖ परिवार में मानसिंक रुप से विकलांग सदस्य

गरीबों की सूची की तैयारी

1. गरीबी रेखा के नीचे / पी ओ पी सूची की तैयारी
2. ग्राम सभा में अनुमोदन
3. खंड विकास अधिकारी और जिला कलेक्टर से अपील
4. अंतिम सूची का प्रदर्शन

विषय II - एस एच जी

उद्देश्य :

- ❖ एस एच जी के गठन को दोहराना
- ❖ बैंको के साथ एस एच जी के संयोजन में सम्मिलित पद्धतियों के बारे में बताना
- ❖ एस एच जी की गुणवत्ता एस एच जी के प्रतिपादन और विकास पर निर्भर करती है ।

अवधि : 130 मिनट

अपेक्षित निष्कर्ष: भविष्य संस्था निर्माण के लिए एस एच जी के महत्व तथा गठन पर प्रतिभागी जानकारी और जागरुकता को बढाएगें ।

मॉड्यूल योजना :

क्रम संख्या	समय	उप विषय / विषय	कवरेज	क्रियाविधि	आवश्यक सामग्री
1.	30 मिनट 60	एस एच जी का गठन	❖ स्व-सहायता और एस एच जी क्या हैं ❖ एस एच जी का आरंभ तथा एस एच जी का गठन	मामला अध्ययन संवादात्मक भाषण पद्धति, वीडियों प्रदर्शन	एस एच जी सी डी (केस), एस एच जी पारस्परिक क्रिया पर पी पी

					टी
2.	30 मिनट 60	लक्षण और कार्य	❖ संख्या, बैठक, उपस्थिति और उसकी रिकार्डिंग, कार्यवृत्त आदि ❖ बचत, उधार देना आदि जैसे कार्यों के बारे में बताना	उपस्थिति रखरखाव का नमूना शीट, कार्यवृत्त और भाषण को बताना	पी पी टी नमूना शीट
3.	60 मिनट 120	बैंकों के साथ एस एच जी का संयोजन	❖ एस. बी. खाता खोलना, ❖ बचत तथा आंतरिक ऋण देना और लेखों से संबंधित पुस्तक ❖ एस एच जी का मूल्यांकन ❖ अनौपचारिक ऋण स्रोत ❖ ऋण अनुमोदन पद्धतियाँ	बचत, आंतरिक ऋण देने, नकद पुस्तक, सामान्य लेडजर और ग्रेडिंग शीट तथा भाषण के संबंधित रिकार्डों की नमूना शीट का प्रदर्शन	पी पी टी नमूना शीट रिकार्डों का गैर-रख-रखाव का मामला तथा उसका प्रभाव
4.	10 मिनट	संक्षिप्त विवरण	प्रश्न और उत्तर	व्यापक समूह परिचर्चा	
कुल 130 मिनट एक घंटा 10/20 मिनट के सत्र के बाद 10 मिनट का ब्रेक दें					

प्रशिक्षकों को सलाह :

एन आर एल एम की सफलता के लिए एस एच जी सिद्धान्त और पद्धतियाँ महत्वपूर्ण है । उच्च स्तरीय जन संस्थाओं (संघों) की शक्ति एस एच जी की शक्ति पर निर्भर करती है ।

वितरण : (स्रोत : एस एच जी के प्रतिपादन पर नाबार्ड हैंडबुक और एस ई आर पी द्वारा समुदाय प्रशिक्षकों की नियमावली)

स्व-सहायता - सभी लोग जानते हैं या स्व-सहायता ही बेहतर सहायता है,' 'एकता में शक्ति हैं 'और 'एकता में बल है ' के बारे में सुनते हैं ।

(जाल में फंसी चिड़ियां की कहानी सुनाएँ । वे एक एक कर नहीं उड़ सकती थी । लेकिन एक झुंड में एक साथ वे उड़ गई और बच निकली)

एस एच जी क्या हैं ?

एस एच जी ऋण और बचत क्रियाकलापों में कार्यरत एक मोहल्ले की 15-20 महिलाओं का औपचारिक, स्व-नियंत्रित और स्वैच्छिक समूह है जो पारस्परिक तथा एकता के सिद्धान्तों पर कार्य करता है ।

एस एच जी का आरंभ

स्व-सहायता समूहों के प्रतिपादन से पहले गांव के समुदाय नेताओं और प्रौढ लोगो की एक बैठक का आयोजन करें तथा समर्थन प्राप्त करने के लिए आपकी एस एच जी के गठन की योजना उन्हें स्पष्ट रुप से बताएँ । सभी को बताने का यह सही समय है कि बैठकों का आयोजन कुछ देने के लिए नहीं लेकिन एक दूसरे की सहायता के लिए एक होने हेतु गरीब परिवारों को "सक्षम" बनाना (एन आर एल एम की सफलता हेतु लाभों के प्रावधान की तुलना में पद्धति महत्वपूर्ण है) है । इस बैठक में स्व-सहायता समूह के मूल सिद्धान्तों के बारें में स्पष्ट रुप से बताएँ तथा निर्धनतम की शिनाख्त पद्धति की जानकारी दें (जैसा की पिछले यूनिट में उल्लेख किया गया) । तब निकटता, समरुपता के आधार पर एस एच जी समूह का गठन करें । जहाँ पहले से एस एच जी मौजूद है उन क्षेत्रों में समुदाय वक्ताओं की शिनाख्त करें जिससे एस एच जी के गठन में उनका उपयोग किया जा सके ।

समूह गठन की प्रक्रिया में 6 महिने का समय लगता है । यदि एक बार समूह का गठन किया जाता है तो उसे स्थिर होने के लिए 1,1/2 वर्ष का समय लगता है । आरंभ में समूह सिद्धान्त जैसे सदस्यता, नेतृत्व, बैठकों का आयोजन तथा लेखों के रखरखाव के बारें में समझना होगा । सदस्यता के अधीन सदस्यता से संबंधित मुद्दें , एक सदस्य को समूह छोड़ने तथा एक नये सदस्य को जोडने के कदम । प्रश्न पूछकर जवाब प्राप्त करने का कार्य आरंभ किया जाता है ।

क्रियाकलापः प्रश्न और उत्तर

एस एच जी के लिए प्रत्येक निर्णय कौन लेता है ? **सभी सदस्य निर्णय ले**

एस एच जी से कौन लाभ प्राप्त करते हैं ? **सभी सदस्यो को लाभ**

किसे कार्य करना चाहिए **सभी लोग कार्य को बांटे**

कार्य का बंटवारा कैसे किया जा सकता है ? **चक्रानुक्रम के आधार पर व्यक्ति को कार्य सौंपने पर सहमत हो जाए।**

बैठकों के दौरान समय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया तथा बैठक का स्थान , अनुपस्थिति के लिए दंड, बचत की राशि, एक दूसरे को लघु ऋण प्राप्त करने और पुनर्भुगतान की आदतों पर समूह सदस्यों द्वारा चर्चा की जाती हैं । समूह का संयोजक आरंभिक बैठकों के दौरान एस एच जी के लक्षणों (नीचे दिये गये) के बारे में जानकारी दे सकता है ।

- ❖ एस एच जी का आदर्श आकार 10 से 20 सदस्यों का होता है । (बड़े समूह में सदस्यगण सक्रिय रुप से भाग नहीं ले सकते)
- ❖ समूह का पंजीकरण करना आवश्यक नहीं है ।
- ❖ एक परिवार से केवल एक सदस्य (इस तरह एस एच जी में अधिक परिवार शामिल हो सकते हैं)
- ❖ समूह में केवल पुरुष रहें या केवल महिलाएँ रहें चूंकि सामान्य रुप से महिला समूह बेहतर निष्पादन करता है । (सामान्य रुप से मिश्रित समूह को प्राथमिकता नहीं दी जाती है)
- ❖ सदस्य समान सामाजिक और वित्तीय पृष्ठभूमि के होते हैं ।
  (इस तरह सदस्य अधिक स्वेच्छा से बातचीत करते हैं)
- ❖ समूह नियमित रुप से बैठक करते हैं ।
  (यदि सदस्य सप्ताह में एक बार बैठक करते हैं तो वे एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझते हैं)
- ❖ अनिवार्य उपस्थिति
- ❖ (अधिक सहभागिता हेतु पूरी उपस्थिति)
- ❖ बाद में एस एच जी को पंचसूत्रों का अनुसरण करना चाहिए (बैठक, उपस्थिति, नियमित बचत, आंतरिक ऋण, पुनर्भुगतान)

एस एच जी द्वारा पुस्तकों का रखरखाव :

सभी प्रविष्टियों के लिए सरल और शुद्ध लेखा पुस्तकों का रखरखाव होगा । यदि कोई भी सदस्य पुस्तकों का रखरखाव करने में सक्षम नहीं है तो इसके लिए भुगतान के आधार पर समूह द्वारा किसी व्यक्ति को कार्यरत करना होगा । आरंभ में समन्वयक भी सहायता कर सकता है । लेखा पुस्तकों में कार्यवृत्त पुस्तक, बचत-सह-उपस्थिति पंजी, नकद पुस्तक, ऋण खाता-बही, व्यक्तिगत पासबुक , सामान्य खाता-बही आदि शामिल है तथा उनके प्रोफार्मा नीचे दिये गये है :

❖ बैठक कार्यवृत्त पुस्तक प्रोफार्मा

- बैठक की संख्या
- बैठक समय, दिवस और तिथि
- एस एच जी के विवरण एस एच जी का नाम, गांव, बैठक का स्थान, किसने अध्यक्षता की , कुल सदस्यों की संख्या, उपस्थित सदस्यों की संख्या ।
- बैठक की कार्यसूची
- सदस्यों की जान-पहचान, प्रार्थना
- पिछले बैठकों के निर्णयों की समीक्षा
- बचत की वसूली तथा प्रत्येक सदस्य की बचत, उनकी संचयी बचत, उस बैठक के दौरान समूह की कुल बचत और समूह संचयी बचत को सूचित करते हुए प्रविष्टियों की रिकार्डिंग ।

क्रम संख्या	**बैठक की संख्या**			**माह के दौरान सदस्यों की उपस्थिति और बचत**										**संचयी बचत**
	तिथि			**सप्ताह 1**		**सप्ताह 2**		**सप्ताह 3**		**सप्ताह 4**		**माह का कुल**		
	सदस्य का नाम	**आगे लायी गई उपस्थिति**	**आगे लाई गई बचत**	**ए**	**एस**	**ए**	**एस**	**ए**	**एस**	**ए**	**एस**	**ए**	**एस**	**कुल बचत**
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														

- **निम्नलिखित प्रोफार्मा में ऋण खाता-बही प्रोफार्मा और रिकार्ड खर्च अदायगी**

वितरण की तिथि	वितरित राशि	उद्देश्य	किश्तों की संख्या	भुगतान देय तिथि	भुगतान की तिथि	लौटाई गई राशि (मूल धन + ब्याज)	अतिदेय (मूल धन +ब्याज)	ऋण शेष	सदस्य के हस्ताक्षर

- **एस एच जी बैंक संयोजन विवरण जैसे अनुमोदित ऋण राशि, किश्तों की संख्या और राशि, लौटाई गई किश्तों की संख्या, पिछली बैठक तक लौटाई गई किश्त, भुगतान हेतु प्रस्तावित किश्त ।**
- **नीचे दिये गये प्रोफार्मा के अनुसार प्राप्ति एवं भुगतान लेखा :**

क्रम संख्या	प्राप्तियाँ	राशि	क्रम संख्या	भुगतान	राशि
1.	आदि शेष		**1.**	सदस्यों को दिया गया ऋण	
2.	बचत प्राप्त		**2.**	वी ओ लौटाया गया ऋण (मूल धन)	
3.	एकत्रित मूल धन		**3.**	वी ओ लौटाया गया ऋण (ब्याज)	
4.	एकत्रित ब्याज		**4.**	लौटाया गया बैंक ऋण ब्याज	

				मूल धन ,	
5.	एकत्रित जुर्माना		**5.**	मुनीम मानदेय	
6.	बैंक से आहरण की गई राशि		**6.**	परिवहन प्रभार	
7.			**7.**	बैंक में जमा की गई राशि	
8.			**8.**	अंत शेष	
	कुल			कुल	

- एस एच जी की व्यय अदाएगी अनुसूची
- नकद पुस्तक : बैठकों के दौरान मुनीम नकद पुस्तक : बैठकों के दौरान बही लेखक को पुस्तक (नीचे दिया गया प्रोफार्मा) लिखनी चाहिए तथा सभी प्रविष्टियाँ (एकत्रित बचत, एकत्रित जुर्माना, ऋण अदाएगी, बैंक से आहरण की गई राशि तथाबैंक में जमा, अनुमोदित नये ऋण तथा अंतिम नकद शेष) रिकार्ड करें । नकद बुक लिखने के पश्चात् प्रविष्टियों को ऋण खाता बही , व्यक्तिगत पास बुक और सामान्य खाता-बही में लिखना होता है ।

दिनांक	कार्यवृत्त पुस्तक पृष्ठ सं	प्राप्तियॉ विवरण	सामान्य खाता बही पृष्ठ सं	राशि	दिनांक	कार्यवृत्त पुस्तक पृष्ठ सं	भुगतान विवरण	सामान्य खाता बही पृष्ठ सं	राशि	शेष

- सामान्य बही खाता : सामान्य बही खाता में लेखा-वार शीर्ष पन्ना आबंटित किया जाता है । बही लेखक नकद पुस्तिका के प्रत्येक लेखा-शीर्ष के नीचे खाते में लिखते है । सामान्य खाता बही से, प्रत्येक खाता-शीर्ष के अंतर्गत उपलब्ध शेष के बारे में जानकारी प्राप्त होती है । इससे आय एवं व्यय विवरण तथा प्राप्तियॉ एवं भुगतान विवरण तैयार किया जाएगा ।

क्रम सं	खाता नाम	आबंटित पृष्ठों की सं	
1.	सदस्यों की बचत	से	तक
2.	सदस्यों के लिए मंजूर किया गया ऋण		
3.	सदस्यों से संग्रहित मूलधन		

4.	पी ओ से प्राप्त निधि		
5.	बैंक से प्राप्त निधि		
6.	अन्य स्रोतों से प्राप्त निधि		
7.	आय शीर्षक		
	क) सदस्यों के ऋण से प्राप्त ब्याज		
	ख) जुर्माना		
	ग) स्रोत निधि		
	घ) बैंक शेष पर ब्याज		
	ड) अन्य आय		
8.	व्यय शीर्षक		
	क) वी ओ को भुगतान की गई ब्याज		
	ख) बैंको भुगतान की गई ब्याज		
	ग) बही लेखक को मानदेय		
	घ) परिवहन प्रभार		
	ड.) विविध खर्च		

- मासिक रिपोर्ट : हर माह मासिक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें आयोजित बैठकों की संख्या, उपस्थिति का %, संग्रहित बचत, विभिन्न स्रोतों से लिया गया ऋण, लौटाई गई राशि, पुरानी राशि, ऋण शेष, समूह का आय एवं व्यय, एस एच जी द्वारा प्रारंभ किए गए क्रियाकलाप सम्मिलित है ।

एस एच जी क्रियाकलाप

(क) बचत एवं मिव्ययता : राशि कम हो सकती है, लेकिन सभी सदस्यों द्वारा बचत करने की आदत निरंतर और नियमित होनी चाहिए । समूह के हर सदस्य की आदशोक्ति ''पहले बचत बाद में ऋण'' होनी चाहिए । समूह सदस्य, बचत द्वारा नकद की अधिक राशि को किस तरह संभाला जाता है सीखते है । जब वे बैंक ऋण का प्रयोग करते है उस समय ये बहुत उपयोगी है ।

(ख) आंतरिक उधार : बचत का उपयोग सदस्यों के लिए ऋण के रुप किया जाना है । उद्देश्य, राशि, ब्याज दर इत्यादि के बारे में समूह द्वारा स्वयं निर्णय लेना होगा । एस एच जी द्वारा सही लेखे का अनुश्रवण किया जाना चाहिए । बैंक में बचत बैंक खाता खोलने से बैंकों से ऋण लेने में और उसे लौटाने में एस एच जी सदस्यों को समर्थन मिलेगा ।

(ग) समस्याओं की चर्चा करना : हर बैठक में समूह के सदस्यों को होने वाली समस्याओं पर समूह चर्चा कर उसका समाधान निकालने का प्रयास करेगा ।

एस एच जी बैंक संयोजन

एच एच जी बैंक संयोजन में उठाए जाने वाले कदम इस प्रकार है :

- बचत बैंक खाता खोलना
- एस एच जी द्वारा आंतरिक ऋण
- एस एच जी का मूल्यांकन
- एस एच जी के मूल्यांकन के लिए जांच सूची
- एस एच जी द्वारा ऋण का पुनर्भुगतान

एस एच जी के गठन करने के तुरंत बाद एक या दो बैठक में ही बचत का संग्रहण किया जाता और फिर एस एच जी के नाम से बचत बैंक खाता खोला जा सकता है । इसे कैसे कर सकते है, इसकी जानकारी हमें निम्नलिखित से मिलेगी

एस एच जी के लिए बचत बैंक खाता खोलना -भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजीकृत अथवा गैर पंजीकृत स्व-सहायता समूहों को बचत बैंक खाता खोलने की अनुमति प्रदान करते हुए सभी वाणिज्य बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए आदेश जारी किया है । आर बी आई के अनुसार, समूह से निम्नलिखित दस्तावेज प्राप्त करने बाद एस एच जी के नाम में बचत बैंक खाता खोल सकते है ।

- बैंक खाता खोलने के उनके निर्णय को सूचित करते हुए एस एच जी से संकल्प
- एस एच जी द्वारा तीन सदस्यों को प्राधिकृत करना जिनमें से कम से कम दो सदस्य संयुक्त रुप से खाता चलायेंगे । प्राधिकृत द्वारा पूरा करा हुआ आवेदन फार्म के साथ-साथ संकल्प को बैंक शाखा में पंजीकृत किया जाए ।
- एस एच जी के नियम एवं विनियमों की प्रतिलिपि

तत्पश्चात स्व-सहायता समूह को बचत बैंक खाता पास बुक प्रदान किया जाए । पास बुक को एस एच जी के नाम से जारी किया जाए न कि किसी व्यक्ति के नाम से ।

एस एच जी द्वारा आंतरिक उधार का आयोजन 2-3 महीनों की न्यूनतम बचत के बाद स्वयं के सदस्यों के लिए उधार देने हेतु एस एच जी द्वारा सामान्य बचत निधि का प्रयोग करना चाहिए । उद्देश्य, सदस्यों के लिए उधार देने की शर्तों एवं निबंधनों, ब्याज दर इत्यादि का निर्णय बैठक के दौरान समूह द्वारा चर्चा के माध्यम से किया जाए । (आर बी आई और नाबार्ड ने सदस्यों को इन पहलुओं पर निर्णय लेने की अनुमति दी है) ।

स्व-सहायता समूहों का मूल्यांकन - ग्रेडिंग फारमैट की मदद से एस एच जी के संचालन की स्थिति को अच्छी तरह से जाँचा जाता है । पहला ग्रेडिंग पूरा होने के पश्चात आर एफ दिया जाता है और दूसरा ग्रेडिंग

पूरा होने के 6 महीने बाद ऋण दिया जाता है । अक्सर समूह के नाम में ऋण मंजूर एवं जारी किया जाता है । एस एच जी को दी जाने वाली ऋण राशि उसके बचत के 1 से 4 गुना अधिक पर दिया जा सकता है ।
खपत एवं आय सृजन क्रियाकलाप दोनों के लिए एस एच जी द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए ऋण प्रदान किया जाता है । एस एच जी, बैंक के लिए ऋण का पुर्नभुगतान करता है । (ऋण के पुर्नभुगतान के लिए समूह पूर्ण रुप से जिम्मेदार है) । आर बी आई /नाबार्ड नियमावली निर्धारित करती है कि बैंक द्वारा एस एच जी को ऋणाधार नहीं लेना चाहिए । स्व-सहायता समूहों के लिए ऋण प्रदान करने में बैंकों द्वारा अपेक्षित दस्तावेजों की सूची में (i) अंतर - एस ई समझौता का निष्पादन स्व-सहायता समूह के सभी सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए (बैंक के साथ सदस्यों द्वारा ये एक समझौता है, बैंक के साथ समूह के लेखों हिसाब-किताब देखने के लिए कम से कम तीन सदस्यों को प्राधिकृत करना) (ii) ऋण सहायता के लिए आवेदन करते समय बैंक शाखा के लिए एस एच जी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करना (इसमें किस उद्देश्य के लिए एस एच जी अपने सदस्यों के लिए ऋण प्रदान करता है उसका विवरण सम्मिलित है) और (iii) स्व-सहायता समूहो को वित्त प्रदान करते समय बैंक प्रयोग के लिए समझौता कागजात (इसमें बैंक एवं एस एच जी के मध्य मुद्रित समझौता पत्र होता है जिस पर दोनों पक्ष निर्धारित शर्तों एवं निबंधनों का पालन करने का समझौता करते है) बैंक के लिए ऋण का पुर्नभुगतान करने के लिए समूह सदस्य पूर्ण रुप से जिम्मेदार होते है ।

विषय -III - एस एच जी संघ
उद्देश्य :

- एस एच जी संघ का गठन और उसकी भूमिका के बारे में प्रतिभागियों की जानकारी बढाना ।
- भविष्य में संस्थान निर्माण में एस एच जी फेडरेशन के महत्व पर बल देना

अवधि : 160 मिनट

अपेक्षित आउटपुट : सेवाओं के प्रावधान एवं सुविधा में एस एच जी फेडरेशनों का गठन, विकास एवं भूमिका पर प्रतिभागियों की जानकारी एवं जागरुकता बढाना ।

माड्यूल योजना :

क्रम सं		उप विषय / विषय	कवरेज	क्रियाविधि	आवश्यक सामग्री
1.	30 मिनट	आवश्यकता, संकल्पना, सिद्धांत	*एसएचजी संघ क्या है और क्यों, *एसएचजी संघ के निर्देशक सिद्धान्त	पारस्परिक व्याख्यान पद्धति,वीडियों प्रदर्शन	एप मास /एसईआरपी से एसएचजी संघ सीडी, पीपीटी

2.	60 मिनट	संघों का गठन	*संरचना/मॉडल *गठन की प्रक्रिया *राज्य द्वारा शिनाख्त पंजीकरण/कानूनी ढांचा कार्य	फिल्म अथवा नमूना संरचना एवं रोल प्ले, उप नियमों की प्रतिलिपि	नमूना शीट,संरचना के चित्रण के साथ पी पी टी
3.	60 मिनट	भूमिका एवं जिम्मेदारी	*विभिन्न कार्य	कार्य एवं भूमिका पर परिचर्चा	भूमिका एवं कार्यों पर पी पी टी मामला अध्ययन
4.	10 मिनट	संक्षिप्त विवरण	*प्रश्नोत्तर	बडे समूह परिचर्चा	
कुल 160 मिनट		1 घंट 10/20 मिनट के सत्र के बाद, 10 मिनट का चाय विराम दिया जाएगा ।			

प्रशिक्षकों को सुझाव

एस एच जी फेडरेशन एवं उनके क्रियाकलाप एवं एस एच जी सदस्यों के फायदे के महत्व पर जोर देने की आवश्यकता है ।

हैण्डआऊट

संघों की आवश्यकता

समग्र कार्य के लिए स्व-सहायता समूहों द्वारा रुकावट का सामना किया जा रहा है । अत: कुछ सीमाओं के कारण निर्धनता का समाधान एवं अर्थिक सहायता एवं सामाजिक विकास करने के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सके है । इन सीमाओं में प्रभाव के लिए सीमित सम्भावना, सीमित सौदाबाजी अधिकार, मानव संसाधनों एवं क्षमताओं की कमी, सहायता सेवाओं प्राप्त करने की सीमित क्षमताएँ सम्मिलित है । इसीलिए माप की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने के लिए समूह स्तर एवं जिला स्तर पर स्व-सहायता समूहों को संघबद्ध किया गया है जिससे लेनदेन की लागत कम होती है, संसाधनों की शेयरिंग, साझेदारिता का प्रबंध, स्व विनियमन एवं सततता एवं सतत समग्र कार्य संभव होता है । अत: एस एच जी फेडरेशन, सामान्य लाभों के लिए प्राथमिक संगठन इकाईयों का एक संघ है ।

एस एच जी संघों के निदेशक सिद्धान्तों में सदस्यों द्वारा उद्देश्यों का निर्धारण करना, समग्र कार्य की प्रासंगिकता एवं संभावना, समुदाय स्वामित्व एवं नियंत्रण सुनिश्चित करना, निर्धारित शासन एवं समुदाय संरचना सम्मिलित होती है ।

प्रकार

स्तर एवं कार्यों के आधार पर विभिन्न प्रकार के संघ पाये जाते है (वित्तीय, गैर-वित्तीय जैसे क्षेत्र विकास एवं सामाजिक कार्य) । स्तरों के आधार पर, प्राथमिक संघ, (एस एच जी एवं एस एच जी सदस्य सीधे तरीके से कार्य करते है) माध्यमिक स्तर (खंड, उप खंड जिला स्तर) एवं शीर्ष संघ (राज्य स्तरीय संघ) होते है ।

संघों की संरचना एवं मॉडल्स

विभिन्न प्रकार के संघ मॉडल है -सी एम आर सी का मैराडा मॉडल आन्ध्र प्रदेश इंदिरा क्रांति प्रथम का एस ई आर पी मॉडल, तमिलनाडू महिला विकास कॉरपोरेशन मॉडल, धन फाऊंडेशन का नेस्टेड मॉडल, धेंकानल जिले में अपनाया गया ओडिशा सरकार मॉडल, केरल का कुटुम्बश्री मॉडल आदि । जबकि यहाँ पर 2 माडलों अर्थात केरल का कुटुम्बश्री मॉडल एवं आन्ध्र प्रदेश के इंदिरा क्रांति प्रथम का एस ई आर पी मॉडल पर चर्चा की गई है ।

- **कुटुम्बश्री** एक महिला उन्मुख समुदाय आधारित निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम है भारत सरकार, नाबार्ड एवं यूनिसेफ के संयोजन से केरल राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित है । कुटुम्बश्री का आधार जन साधारण नजदीकी समूह है (एन एच जी) जो वार्ड स्तर क्षेत्र विकास सोसाईटी (ए डी एस) के लिए प्रतिनिधियों को भेजता है । ए डी एस समुदाय विकास सोसाईटी (सी डी एस) के लिए प्रतिनिधियों को भेजता है, इसी तरह से कुटुम्बश्री की विशिष्ट **तीन स्तरीय संरचना** पूरी होती है । ये मॉडल समुदाय सहभाग एवं नजदीकी समूह (एन एच जी) क्षेत्र विकास सोसाईटी (ए डी एस) द्वारा अभिसरण पर अधिक फोकस देता है । एन एच जी द्वारा सीधे बैंक ऋण लिया जाता है अथवा सी डी एस द्वारा अधिक ऋण लिया जाता है - बैंकों के साथ एन एच जी का सीधा संपर्क सर्वोत्तम मॉडल है । संस्थान के प्रति वचनबद्ध एवं निष्ठावान लोगों के मिशन दल की नियुक्ति करते समय सरकार कुटुम्बश्री कार्यक्रमों के लिए पूर्वोपाय सुविधाकर्ता के रुप में सूक्ष्म उद्यमों का विकास, खाद्य सुरक्षा, न्यूनतम जरुरतों की आपूर्ति, बाल विकास, निस्सहायों का विकास आदि को सम्मिलित करती है ।
- **इंदिरा क्रांति पथम (आई के पी)** इंदिरा क्रांति पथम (आई के पी) एक राज्य व्यापक निर्धनता उन्मूलन परियोजना है जिसके अंतर्गत ग्रामीण निर्धनों को स्वयं के संगठनों द्वारा उनकी आजीविका सुधार एवं बेहतर जीवन जीने के लिए समर्थन दिया जाता है । आई के पी का लक्ष्य 30 लाख अत्यंत गरीब परिवारों पर विशेष ध्यान देते हुए राज्य में सभी ग्रामीण निर्धन परिवारों को कवर करना है । ये कार्य ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन सोसाईटी (एस ई आर पी) ग्रामीण विकास विभाग, आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा एस ई आर पी, सोसाईटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एक स्वायत्त सोसाईटी है, और जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी (डी आर डी ए) द्वारा परियोजना का कार्यान्वयन करती है । इस सोसाईटी में 1,06,75,321 महिला सदस्यों को स्व-सहायता समूहों में, फिर एस एच जी को वी ओ में, वी ओ को क्लस्टर लेवल मंडल समक्यास (एम एस) और इन एम एस को जिला समैख्या

(डी एस) में । यद्यपि प्रारंभ में बैंक एस एच जी के लिए जो ऋण प्रदान करता है वो ऋण के प्राथमिक स्रोत होते है ; वर्तमान में वी ओ एवं मंडल सामाख्या स्व-सहायता समूहों के लिए उधार देने हेतु परिक्रमी निधि के रुप में समुदाय निवेश निधि का आवर्तन करते है । अच्छा काम करने वाले कुछ वी ओ ने बैंकों से अधिक ऋण प्राप्त किया है । अधिक ऋण प्राप्त करने के लिए बैंकों के साथ मंडल समक्यास को जोडने के लिए योजनाएँ सक्रिय होनी चाहिए आई के पी, एम एस द्वारा बीमा, पेन्शन आदि के लिए सरकार के आजीविका पहलुओं, विपणन एवं अन्य कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का कार्यान्वयन करता है (नीचे चित्र में दिखाया गया है)

एस ई आर पी संघ मॉडल

- ई सी - प्रत्येक वी ओ से 2, 5 पदधारी
- वी ओ के लिए समर्थन देते है
- सरकारी विभागों, वित्तीय संस्थानों, बाजारों के साथ सुरक्षित संयोजन
- समूहों का लेखा परीक्षा
- सूक्ष्म वित्त कार्य
- ई सी - प्रत्येक एस एच जी से 2, 5 पदधारी
- एस एच जी का सुदृढीकरण
- एस एच जी के लिए ऋण लाईन की व्यवस्था
- सामाजिक कार्य
- ग्राम विकास
- विपणन एवं खाद्य सुरक्षा
- कार्यकर्ताओं को समर्थन - 3-5
- मितव्ययता एवं ऋण क्रियाकलाप
- सदस्य निष्पादन का अनुश्रवण
- सूक्ष्म ऋण योजना
- V योजनाओं में परिवार

एस एच जी संघो की गठन प्रक्रिया

एस एच जी संघों की गठन प्रक्रिया में निम्नलिखित सम्मिलित है (फेडरेशन के गठन के लिए प्रशिक्षार्थियों द्वारा रोल प्ले)

- क्रियाकलापों की सम्भावना जैसे वित्तीय, गैर-वित्तीय अथवा दोनों का निर्धारण

- विद्यमान संघ, उनका क्रियाकलाप, विद्यमान संघों पर नए संघों के प्रभावों के बारे में परिस्थिति विश्लेषण
- अवधारणा, आवश्यकता, क्रियाकलाप, कानूनी ढॉचा कार्य एवं संघों की भावी निर्देश के बारे में समर्थ स्तर पर सुविधा
- संघ का गठन करने पर निर्णय - यहाँ पर संघ का गठन एवं उसकी सफलता के लिए एस एच जी सदस्यों की सहमति अत्यंत आवश्यक है । इसीलिए स्व-सहायता समूहों के सक्षम नेताओं को संघ के गठन एवं उच्च जिम्मेदारी की स्वीकृति की ओर अभिमुखित किया जाता है ।
- सदस्यों का स्टेक - सदस्यों को शेयर कैपिटल सेट्टिंग मानदण्डों के रुप में संघ के लिए सहयोग देना और इन मानदण्डों में पंचसूत्र जैसे - नियमित बैठके; नियमित बचत; नियमित अंतर ऋण प्रदान करना; समय पर ऋण चुकाना; लेखों की अद्यतन हिसाब सम्मिलित है ।
- उपयुक्त अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण
- संघ के नाम से बैंक खाता खोलना, लेखों का हिसाब - किताब देखने के लिए पदाधिकारियों का चयन, कार्यकारी समिति द्वारा आहरण का अनुमोदन
- ई सी एवं जी बी - ई सी एवं जी बी का गठन और पदाधारियों का चयन
- संघ के क्रियाकलाप

कानूनी ढॉचा

कानूनी अधिकार प्राप्त करने के लिए, खरीदने और बेचने के लिए, परिसम्पत्तियों का सृजन, अन्य संगठनों के साथ समझौता एवं सतत सफलता के लिए संघों के लिए कानूनी ढॉचा आवश्यक है । जिससे सदस्यों में बाहरी संस्थानों के साथ चर्चा सामर्थ्य एवं सौदाकारी शक्ति बनता है । विभिन्न कानूनी प्रकार जिसके अंतर्गत संघों को पंजीकृत किया गया है वे है - ट्रस्ट अधिनियम, सोसाईटी अधिनियम, सहकारिता/एम ए सी एस अधिनियम एवं वर्ग 25 / कम्पनी अधिनियम / फिर भी अधिकांश संघ सहकारिता सोसाईटी अधिनियम अत: कानूनी ढॉचा कार्य के बारे में राज्य सरकार निर्णय ले सकता है ।

संघ के कार्य

संघ के कार्य वित्तीय एवं गैर वित्तीय है । गैर वित्तीय कार्यों में संस्थान का विकास, आजीविका सेवाएँ एवं सामाजिक विकास सेवाएँ सम्मिलित है । इसका विवरण नीचे दिया गया है :

- **वित्तीय कार्य -** ऋण की प्राप्ति, बचत बढावा देना, बीमा, धन अंतरण एवं पेन्शन उत्पादों की सुविधा
- **गैर - वित्तीय कार्य**

- आजीविका सेवाएँ - बाजार सूचना एवं बाजारों के साथ संयोजन, प्रोसेसिंग एवं मूल्य जोड, व्यापार योजना विकास, उद्यमों का विकास, निवेशों की आपूर्ति, आवश्यक सामग्रियों की परिलब्धि, सम्पत्ति बनाने में सहायता, कौशल प्रशिक्षण इत्यादि ।
- संस्थान विकास कार्य - स्व- सहायता समूहों का अनुश्रवण एवं लेखा परीक्षा, समूहों का ग्रेडिंग, बही खाता के लिए समर्थन, एस एच जी बैंक संयोजन की सुविधा, संघर्षों का समाधान, नए समूह का गठन, प्रशिक्षण एवं नेतृत्व विकास, स्व-सहायता समूहों के मध्य सु-शासन पद्धतियॉ ।
- सामाजिक विकास कार्य - विभिन्न सामाजिक मुद्धों जैसे बाल विवाह, घरेलू हिंसा, सामाजिक विभेद एवं अन्य जैसे स्वास्थ्य पहलुएँ, पारिवारिक परामर्श आदि पर ध्यान देना ।

पेटा अग्रहारम वी ओ, पूतलपट्टु, चित्तूर का मामला अध्ययन

उपयुक्त वी ओ में 24 स्व-सहायता समूह उपलब्ध है जिसमें 3 अनुसूची जाति, 1 अनुसूचित जन जाति एवं बाकी पिछडे जाति के है और इनकी महीने में दो बार बैठक होती है, एक बैठक वित्तीय चर्चा के लिए और दूसरी में विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित कार्यसूची एवं अन्य सामाजिक मुद्दे सम्मिलित है । ये बैठक बहुत अव्यवस्थित होती या सदस्यगण बहुत दूर-दूर से इकट्ठा होते थे । वी ओ सदस्य सोचते है कि वी ओ की भूमिका स्व-सहायता समूहों की समस्याओं का समाधान करना और ऋण प्रदान करना है । एस एच जी द्वारा प्राप्त होने वाली एम सी पी के अनुसार वी ओ एस एच जी के लिए ऋण मंजूर करता है । ऋण प्राप्ति आवेदन प्राप्त करने के बाद, वी ओ की एक समिति एस एच जी के सभी लेखों की जॉंच करती है और वी ओ समूह को ऋण प्रदान करें या नही इसका निर्णय लेता है । वी ओ के पास प्रति व्यक्ति के लिए रुपये 10,000 का ऋण सीलिंग होता है (प्रति एस एच जी रुपये 50,000 जिसका अकसर अतिक्रय किया जाता है) । अत: सभी सदस्य जिन्होंने ऋण के लिए आवेदन किया उन्हें रुपये 10,000 प्राप्त हुए थे । एस एच जी में तैयार एम सी पी के पास सभी सदस्यों के लिए एक समान डाटा उपलब्ध था । समूहों के हित में 20 किश्तों में ऋण चुकौती की व्यवस्था होती है, लेकिन कमजोर समूहों के लिए 40-50 किश्तों में वापस लिया जाता है ।

वी ओ के आरंभ से अभी तक नेताओं को बदला नहीं गया । वर्तमान अध्यक्ष सुवर्णा कुमारी शुरु से अध्यक्ष रही है । बीच में धनलक्ष्मी समूह से चारुमति अध्यक्ष बनने के लिए आगे आई, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण पीछे हट गई । एस एच जी नेताओं में भी अब तक कोई परिवर्तन नही हुआ है और सदस्यों ने बताया कि ''जब तक एस एच जी अच्छी तरह से काम करेगा तब तक हम नेताओं को बदलना नहीं चाहते'' । बहुत कम सदस्य एम एस के बारे में कोई जानकारी रखते है । यहॉं पर केवल एक ही उप समिति है जो एस एच जी क्रियाकलापों को देखती है । उनके नियमित कार्यो के अलावा, वी ओ ने बाल विवाह, बाल मजदूरी जैसे मामलों पर भी ध्यान दिया है । ऋण खाते में प्रविष्टियॉं बिलकुल सही रही । फिर भी वे भुगतान के साथ मेल नहीं खाती - उदाहरण के लिए, निर्धारित समय 50 समान किश्त है फिर भी सदस्यगण

बढी और असमान किश्तों में भुगतान करते है । लेखा परीक्षा रिपोर्ट एवं लेखा परीक्षित तुलन-पत्र उपलब्ध नहीं था ।

स्रोत : ए पी एम ए एस मामला अध्ययन

विषय IV - एस जी एस वाई

उद्देश्य :

- एस जी एस वाई सिंहावलोकन, एस जी एस वाई के अंतर्गत स्व-सहायता समूहों का निष्पादन एवं प्रगति के बारे में जानकारी देना ।
- एस जी एस वाई की कमियों की जानकारी प्रतिभागियों को देना ।

अवधि : 100 मिनट

अपेक्षित आऊटपुट : प्रतिभागी एस जी एस वाई प्रगति, स्व-सहायता समूहों का निष्पादन एवं कमियों के बारे में जानेंगे ।

माड्यूल योजना :

क्रम सं		उप विषय / विषय	कवरेज	क्रियाविधि	आवश्यक सामग्री
1.	30 मिनट	एस जी एस वाई सिंहावलोकन	एस जी एस वाई कार्यान्वयन एवं प्रगति	पारस्परिक व्याख्यान पद्धति,मामला अध्ययन पद्धति	पी पी टी मामला अध्ययन
2.	30 मिनट	एस जी एस वाई लर्निंग लेसेन्स	एस एच जी निष्पादन, ऋण, आजीविका/आई जी एस, अन्य जैसे विपणन प्रशिक्षण, आधारभूत संरचना	मामला एवं व्याख्यान	पी पी टी एवं मामला परिचर्चा
3.	30 मिनट	कमियाँ	कमियॉ मार्ग - एन आर एल एम में परिवर्तन	परिचर्चा	पी पी टी

4.	10 मिनट	संक्षिप्त विवरण	प्रश्नोत्तर	बडे समूह परिचर्चा	
कुल 100 मिनट		1 घंट 10/20 मिनट के सत्र के बाद, 10 मिनट का चाय विराम दिया जाएगा ।			

प्रशिक्षकों को सुझाव - एस जी एस वाई के मुख्य विशिष्टताओं एवं कमियों पर अधिक जोर दिया जाए ।

हैण्डआऊट -

अप्रैल 1999 में, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी) को स्व-रोजगार हेतु ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण (टी आर वाई एस ई एम), ग्रामीण कारीगरों के लिए उन्नत टूल्स की आपूर्ति (एस आई टी आर ए) गंगा कल्याण योजना, मिलियन कूप योजना (एम डब्ल्यू एस) एवं ग्रामीण क्षेत्रों मे महिला एवं बच्चो का विकास (ड्वाकरा) के साथ सम्मिलित एवं पुर्न संरचित किया गया और एकल स्व-रोजगार कार्यक्रम - स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एस जी एस वाई) को प्रारंभ किया गया । एस जी एस वाई का मुख्य उद्देश्य समूह दृष्टिकोण द्वारा बैंक ऋण एवं पूंजीगत सब्सिडी के माध्यम से आय सृजन परिसंपत्ति प्रदान करते हुए निर्धन परिवारों को निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है । एस जी एस वाई को ग्रामीण निर्धनों के स्व-रोजगार के सभी पहलुओं जैसे स्व-सहायता समूहों में निर्धनों का संगठन, उनका क्षमता निर्माण, मुख्य क्रियाकलापों का चयन, क्रियाकलाप समूहो की योजना, प्रशिक्षण एवं कौश्ल विकास, आधारभूत संरचना निर्माण, प्रौद्योगिकी एवं बाजार समर्थन को कवर करते हुए समग्र स्व-शासन कार्यक्रम के रुप में विभाजित किया गया है । पंचायती राज संस्थानों, बैंको, लाईन विभागों एवं एन जी ओ के सक्रिय सहभाग से डी आर डी ए द्वारा योजना का कार्यान्वयन किया गया है ।

एस जी एस वाई की मुख्य विशिष्टताएँ

- केन्द्रीय रुप से प्रायोजित स्व-रोजगार योजना है । 75 : 25 के अनुपात में केन्द्र एवं राज्य के मध्य निधि को बांटा जाता है । उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए, अनुपात 90 : 10 है । एस जी एस वाई के लिए प्रदत्त निधि के आधार पर पंचायत समिति के माध्यम से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी आर डी ए) / जिला परिषद द्वारा योजना का कार्यान्वयन किया जाता है ।
- कार्यक्रम के अंतर्गत सामाजिक संग्रहण द्वारा निचले स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनों को स्व-सहायता समूहों में संगठित करते हुए बडी संख्या में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करने का विचार किया गया है । इन स्व-रोजगारियों को मूल अभिमुखीकरण प्रशिक्षण एवं कौशल प्रशिक्षण द्वारा प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण प्रदान किया जाता है । उपलब्ध संसाधनों, कौशल एवं विपणन के आधार पर मुख्य क्रियाकलापों का चयन किया जाता है और समर्थक पूंजीगत सब्सिडी एवं ऋण की मदद से सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना की जाती है ।
- स्व-सहायता समूहों (एस एच जी) की गठन एवं विकास के लिए एन जी ओ, सी बी ओ एवं स्व-सहायता प्रोत्साहन संस्थान (एस एच जी आई) को सरकार द्वारा प्रति समूह रु.

10,000 तक आर्थिक सहायता दी जाती है । डी आर डी ए द्वारा प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के प्रति अधिकतम 10 प्रतिशत राशि का आबंटन किया जाएगा । राज्यों के लिए एस जी एस वाई आधारभूत संरचना निधि का 20 प्रतिशत और उत्तर पूर्वी राज्यों के मामले में 25 प्रतिशत का आबंटन होता है । आवर्तन निधि के रुप में प्रत्येक एस एच जी के लिए डी आर डी ए रु. 10,000 प्रदान करता है, ग्रेड - I स्व-सहायता समूहों के लिए बैंकों द्वारा रु. 15,000 का नकद ऋण प्राप्त होता है । योजना के स्वरुप के आधार पर बैंक कम से कम 2 से 5 वर्षों की भुगतान अवधि के साथ ग्रेड - II स्व-सहायता समूहों को ऋण प्रदान करता है । एस जी एस वाई के अंतर्गत सब्सिडी एक समान है अर्थात परियोजना लागत का 30 प्रतिशत और हर स्वरोजगारी के लिए अधिकतम रु. 7,500 की सब्सिडी दी जाती है । (अ.जा/अ.ज.जाति/अशक्त स्वरोजगारियों के लिए रु. 10,000 है) लॉक-इन अवधि से पहले पूर्ण रुप से यदि ऋण लौटाया जाता है तो ऐसे मामलों में सब्सिडी का लाभ उठाने का अधिकार स्वरोजगारियों को नहीं होता है ।

उपलब्धि : वर्ष 2010-11 में दिसम्बर तक कुल 12.81 लाख स्वरोजगारियों को सहायता दी गई जिसमें से **8.50 लाख** (66.35%) महिला स्वरोजगारी है । वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान रु. 5210.63 करोड की तुलना में दिसम्बर, 2010 तक बैंको द्वारा रु. 2901.36 करोड का वितरण किया गया ।

पुर्नसंरचना की आवश्यकता : अध्ययनों की श्रृंखल में प्रो. राधाकृष्ण समिति रिपोर्ट में, एस जी एस वाई कार्यक्रम की समीक्षा में कुछ नई कमियों को उजागर किया है जो इस प्रकार है : ग्रामीण निर्धनों के संग्रहण में व्यापक क्षेत्रीय विभिन्नताएँ, लाभभोगियों का अपर्याप्त क्षमता निर्माण, समुदाय संस्थानों के लिए अपर्याप्त निवेश के कारण बैंकों के साथ कम संयोजन एवं अपर्याप्त निधि पोषण । निर्धनों के संस्थानों की अनुपस्थिति के कारण संघों ने उत्पादकता वृद्धि, विपणन, जोखिम प्रबंध आदि के लिए बेहतर सहायता सेवा प्राप्त करने से निर्धनों का रोका है । इन अध्ययनों ने दर्शाया है कि जहॉ कही भी स्व-सहायता समूहों में निर्धनों की व्यवस्थित संग्रहण हुआ है, वहॉ पर एस जी एस वाई क्रमश: सफल रही है, प्रक्रिया पहल के रुप में उनका क्षमता निर्माण एवं कौशल विकास किया गया है । अत: एस जी एस वाई को एन आर एल एम में पुर्न संरचित किया गया है जिसके बारे में अगले पृष्ठ में चर्चा की गई है ।

विषय - V एन आर एल एम की प्रस्तावना

उद्देश्य :

- एल आर एल एम की संरचना एवं संकल्पना के बारे में प्रतिभागियों में जागरुकता लाना ।
- आजीविका विकास में अभिसरण की आवश्यकता पर स्टेकहोल्डरों को जानकारी देना ।

अवधि : 145 मिनट

अपेक्षित निष्कर्ष: एन आर एल एम कार्यान्वयन में अवधारणा एवं नीति पर प्रतिभागियों को जानकारी देना और जागरुकता लाना ।

माड्यूल योजना :

क्रम सं		उप विषय / विषय	कवरेज	क्रियाविधि	आवश्यक सामग्री
1.	60 मिनट	एन आर एल एम का विकास	* विभिन्न समितियों की सिफारिशे * एन आर एल एम की आवश्यकता	मामला अध्ययन, पारस्परिक व्याख्यान पद्धति, वीडियो प्रसारण	पी पी टी और एन आर एल एम (एम ओ आर डी, पी पी टी)
2.	45 मिनट	एन आर एल एम के बारे में	* एस जी एस वाई का पुर्न संरचना - एस जी एस वाई एवं एन आर एल एम के मध्य तुलनात्मक विश्लेषण * एन आर एल एम दृष्टिकोण एवं प्रयोग किये गये विभिन्न नीतियाँ * एन आर एल एम समर्थक संरचना	पारस्परिक व्याख्यान पद्धति, फ्लो चार्ट, ग्राफीय प्रस्तुतीकरण	पी पी टी प्रस्तुतीकरण एवं हैण्डआऊट(एम ओ आर डी)
3.	30 मिनट	एल आर एल एम द्वारा अभिसरण	* विभिन्न स्टेकहोल्डरों की व्यापक भूमिका, अभिसरण का महत्व	पारस्परिक व्याख्यान पद्धति, सफल कहानी यदि कोई)	(एन आर एल एम/एस आर एल एम)
4.	10 मिनट	संक्षिप्त विवरण	* प्रश्नोत्तर	बडे समूह परिचर्चा	
कुल 145 मिनट			1 घंट 10/20 मिनट के सत्र के बाद, 10 मिनट का चाय विराम दिया जाएगा ।		

प्रशिक्षकों को सुझाव - एन आर एल एम दृष्टिकोण के महत्व पर जोर देना जो समर्पित समर्थन व्यवस्था, निर्धनों के लिए मजबूत संस्थान, निर्धनता से बाहर आने के लिए निरंतर ऋण सहायता पर आधारित है । समर्थन सेवाओं के महत्व को भी उजागर करना चाहिए ।

हैण्डआऊट - एन आर एल एम मिशन प्रलेख

विषय - VI - एन आर एल एम के अंतर्गत संस्था निर्माण एवं क्षमता निर्माण

उद्देश्य :

- स्टेकहोल्डरों द्वारा सार्वजनिक संस्थानों के विभिन्न स्तरों पर आई बी एव सी बी प्रक्रियाओं को समझना
- आजीविका विकास में सार्वजनिक संस्थानों के विभिन्न स्तर के कार्य एवं भूमिका को समझाना

अपेक्षित निष्कर्ष:

प्रशिक्षण की समाप्ति तक प्रतिभगियों को निम्नलिखित बातें स्पष्ट होनी चाहिए ;

- क्षमता निर्माण नीतियॉ
- आई बी एवं सी बी में विभिन्न स्टेकहोल्डरों (लाईन विभाग, बैंक, एन जी ओ एवं पी आर आई) की भूमिका एवं जिम्मेदारी

कुल अवधि : 205 मिनट

माड्यूल योजना :

क्रम सं		उप विषय / विषय	कवरेज	क्रियाविधि	आवश्यक सामग्री
1.	30 मिनट	एन आर एल एम में संस्थान निर्माण एवं क्षमता निर्माण का परिचय	आवश्यकता एवं महत्व	व्याख्यान विचार मंथन	एन आर एल एम पर संकल्पना रिपोर्ट
2.	60 मिनट	स्व-सहायता समूहों एवं संघों का क्षमता निर्माण	विभिन्न नीतियॉ सी आर पी, बैंक मित्रा, मजदूरी रोजगार के लिए कौशल विकास	प्रत्यक्ष रुप से अथवा फिल्म द्वारा सी आर पी के बारे में अनुभव शेयरिंग, कौशल विकास फिल्म,	एन आई आर डी से सी आर पी फिल्म और आर टी पी/आई एल एवं एफ एस एवं पी पी टी से कौशल

				व्याख्यान	विकास फिल्म
3.	90 मिनट	आई बी एवं सी बी को बढावा देने में स्टेकहोल्डरों की भूमिका एवं जिम्मेदारियाँ	विभाग-वार परिचर्चा	समूह परिचर्चा एवं प्रस्तुतीकरण	पद्धतियों का पैकेज, लाईन विभागों/बैंको/एन जी ओ के विभिन्न योजनाओं की सूची
4.	15 मिनट	एन जी ओ/सी एस ओ की भूमिका	* आई बी एवं सी बी में	व्याख्यान/पीपीटी/ परिचर्चा	
5.	10 मिनट	संक्षिप्त विवरण	* प्रश्नोत्तर	बडे समूह परिचर्चा	
कुल 205 मिनट		1 घंट 10/20 मिनट के सत्र के बाद, 10 मिनट का चाय विराम दिया जाएगा ।			

प्रशिक्षकों को सुझाव : एन आर एल एम के अंतर्गत संस्थान निर्माण की सफलता का मुख्य कारण क्षमता निर्माण है । इसकी नीतियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए ।

हैण्डआऊट : एन आर एल एम के अंतर्गत निर्धनों के लिए बेहतर सहायता सेवा प्रदान करने के लिए निर्धनों के लिए संस्थान का निर्माण (जैसा कि इकाई -II में उल्लेख किया गया है) आवश्यक है । एस एच जी संघ के गठन प्रक्रिया को पहले से ही इकाई - II में दिया गया है । संस्थान निर्माण में, एक-एक करके व्यवस्थित पद्धति को अपनाना होगा ।

- संकल्पना, आवश्यकता, क्रियाकलाप, कानूनी ढांचा एवं संघ की भावी दिशा के बारे में प्रवर्तक के स्तर पर सुविधा उसके बाद ही प्रवर्तक सदस्यों को निर्देश दे सकेंगे तथा इन पहलुओं पर उनकी क्षमता का निर्माण कर सकते है ।
- सदस्यों को शेयर पूंजी के रुप मे संघ के लिए अंशदान देना होगा ।
- मानदण्डो का निर्धारण में मानदंड पंचसूत्र जैसे - एस एच जी की नियमित बैठके, नियमित बचत, नियमित अंतर-ऋण समय पर पुनर्भुगतान, लेखा पुस्तिकाओं को अद्यतन बनाना शामिल है ।
- उचित अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण
- संघ के लिए बैंक खाते को खोलना ; खाते के परिचालन हेतु पदधिकारी का चयन, कार्यकारिणी समिति द्वारा आहरण का अनुमोदन
- ई सी एवं जी बी - ई सी एवं जी बी का गठन एवं पदाधिकारियों का चुनाव तथा उप-समिति का गठन
- समितियों द्वारा संघ क्रियाकलापों को प्रारंभ करना ।

इन संस्थानों के निर्माण की नीति में राज्य सदस्यों, समुदाय के लोग (सी आर पी एस, बैंक मित्रा आदि) में समर्पित समर्थन संरचना के कर्मचारियों का लगातार क्षमता निर्माण कार्य शामिल है इसमें पिछले

युनिटों में समर्पित समर्थन संरचना (राज्य में एस आर एल एम और उनकी संरचना) की भूमिका और संरचना के बारे में चर्चा की गई है । आगे, सभी सदस्यों, एस एच जी, उनके संघो, बैंकरों, एन जी ओ एवं अन्य स्टेकहोल्डरों को इस तरह से प्रशिक्षित कर कौशल प्रदान किया गया है कि वे अपनी संस्थानों का प्रबंध कर सके, बाजारों के साथ संयोजन स्थापित कर सके, आजीविकाओं का प्रबंध कर सके तथा ऋण विलयन क्षमता को बढ़ा सके । एस ई आर पी के अनुभव के अनुसार समुदाय संसाधन व्यक्ति नीति (एस ई आर पी अधिकारियों के मार्गदर्शन में) से नेतागणों और समुदाय संगठनों के सदस्यों की क्षमता में सुधार हुआ है । सी आर पी के निजी मामला अध्ययनों ने गैर एस एच जी सदस्यों को समूह में सम्मिलित होने हेतु प्रेरित किया इसने वर्तमान स्व-सहायता समूहों की श्रेष्ठ पद्धतियां को अपनाने हेतु एस एच जी को (पंचसूत्र) को प्रेरित किया । सी आर पी के संक्षिप्त लेखा को निम्नानुसार दिया गया है :

सी आर पी नीति

सी आर पी पुराने एस एच जी या समूह संघो के सदस्यों से चयनित सक्रिय नेता होता हैं । ये वे लोग है जिन्हे कम से कम 4 वर्षों का अनुभव है तथा गरीबी के दायरे से बाहर आए है और संस्थानों के सक्रिय समर्थन से अपने वर्तमान जीवन स्तर को सुधारा है । उनहें अपने एस एच जी और संघो द्वारा आदर्श मॉडल के रुप में मान्यता होती चाहिए । उनमें बेहतर संचार कौशल और लोगों को प्रशिक्षित करने की क्षमता होनी चाहिए । उनकी भूमिका में वर्तमान एस एच जी को सुदृढ़ करना, नये एस एच जी और उनके संघो को बढ़ावा देना है । सी आर पी संस्था निर्माण के अलावा सूक्ष्म उद्यमों, आजीविका विपणन, लेखापरीक्षा, लेखा आदि के लिए सी आर पी है । समुदाय सदस्यों परियोजना कर्मचारी तथा राज्य परियोजना प्रबंधन कर्म चारी सहित एक जिला समिति द्वारा सी आर पी का चयन किया जाता हैं । चयन के पश्चात राज्य परियोजना प्रबंधन युनिट (एस पी एम यु) सदस्यों द्वारा राज्य स्तर पर सी आर पी को प्रशिक्षण दिया जाता है । उनके कार्य दिवस एक माह में 15 दिनों से अधिक नहीं होंगे । प्रति माह 1 से 15 के दौरान उन्हे क्षेत्र दौरा करना होगा । वे एक गांव में अधिकतम पांच दिन रहेगे तथा प्रत्येक राऊण्ड में अधिकतम तीन गांवो को कवर करेंगे । आगे, प्रत्येक सी आर पी द्वारा दौरा किए गए गांवों को संपूर्ण सत्र के लिए निर्धारित किया जाता हौ ।

बैंक मित्रा

एस एच जी को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय समावेश हेतु निर्धनतम लोगों तक पहुँचने के लिए सरकार और बैंको के लिए अधिक संभावनाओं एवं अवसरों का सक्रिय रुप से लाभ उठाया गया । बैंकिंग संस्थाओं से जुड़ी कुछ समस्याओं में मुख्यधारा से जुड़े वित्तीय संस्थाओं के ग्रामीण शाखाओं में मानव संसाधन की कमी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में चालू विभिन्न बैंक शाखाओं की संख्या में कमी का होना है । अलग-अलग राज्यों में कई संस्थाओं को गुणवत्ता समुदाय संस्थाओं का सृजन करने और पोषण का अधिदेश दिया गया हैं । ताकि भविष्य में ये बैंकिंग व्यवस्था हेतु संभावित ग्राहक बनेंगे । '' बैंक मित्रा '' का सिद्धान्त एस एच जी महिलाओं द्वारा बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच की प्राप्ति में उपयोगी बनना है ।

बैंक मित्रा

बैंक मित्रा संभवत: समुदाय से एक ऐसी महिला को बनाया जाना चहिए जिसे अनुपूरक बैंकिंग कार्य करने का ज्ञान हो जैसे - खाता खोलने के लिए एस एच जी का दस्तावेज तैयार करना, ऋण संयोजन, सदस्य बैंक परिसर में राशि को जमा करने या आहरण करने आता हो तब बैंक में पावती भरना तथा बैंक शाखा द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य आदि । बैंक की एस एच जी पृष्ठभूमि में अंतरालों को पाटते हुए तथा आवश्यकतानुसार दिशाओं को खोजते हुए इस मॉडल के प्रयास की विशेषकर राज्य में आवश्यकता है इस प्रक्रिया से महत्वपूर्ण कार्य सौपते हुए शाखा के कार्यबोझ को कम करने में मदद मिलेगी बल्कि समय खपत वाले प्रलेखन कार्य भी संपन्न होंगे । बैंक मित्रा को प्रशिक्षित करने हेतु कार्यान्वयन एजेन्सी और संबंधित बैंक के बीच समन्वय होना चाहिए । प्रशिक्षण का व्यय कार्यन्वयन एजेन्सी वहन करेगी तथा बैंक मित्रा को प्रशिक्षित करने हेतु बैंक अपने स्टॉफ की सेवायें देगा । यह भी प्रस्ताव किया गया है कि संबंधित बैंक द्वारा अपने परिसर में स्थान और आधारभूत संरचना प्रदान की जानी चाहिए ताकि बैंक मित्रा के लिए अपेक्षित क्रियाकलाप संचालित हो सके ।

रोजगार हेतु कौशल विकास :-

ग्रामीण विकास विभाग, आन्ध्र प्रदेश सरकार, (ए पी) कौशल विकास प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के पश्चात ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को अपने रोजगार सृजन तथा विपणन मिशन (ई जी एम एम) वेः माध्यम से रोजगार प्रदान कर रही हैं । युवा समाज आर्थिक और सामाजिक रुप से अलाभान्वित वर्गो के है । यह सरकार, कंपनियों तथा इसके स्टेकहोल्डरों के रुप में ग्रामीण समुदायों के साथ सरकारी निजी साझेदारी के रुप में कार्य करता हैं । संपूर्ण दृष्टिकोण एक हैं जिसके माध्यम से ग्रामीण गरीबों को असंगठित क्षेत्र से संगठित श्रम बाजार की ओर लाना हैं । देश में अपने प्रकार की पहली निचले स्तर की अंग्रेजी , सॉफ्ट कौशल और कंप्यूटर्स अकादमी, कपड़ा अकादमी तथा सुरक्षा अकादमी जैसे - विकसित नवीन उत्पादों द्वारा ई जी एम एम ब्रैड का निर्माण किया गया है ई जी एम एम ने नये निवेशों से जुड़े प्रशिक्षण को भी विशिष्ट रुप से निर्मित किया है जैसे - ग्रामीण बी पी ओ, एस ई जेड़ निर्माण युनिट आदि । कंपनी जो ई जी एम एम प्रशिक्षण केन्द्रो से युवाओं को बड़ी संख्या में भर्ति करती है वह है खुदरा क्षेत्र (आदित्य बिड़ला ग्रूप) (बिग बाजार) (फ्यूचर्स ग्रूप), रिलॉयन्स फ्रेश, हेरिटेज फ्रेश ; (आई टी सी चौपाल एवं फ्यूचर्स ग्रूप, सुरक्षा सेवायें) (रोक्सा / जी 4 सुरक्षा) बिक्री में (हिन्दुस्तान यूनिलिवर , रिलॉयन्स, टेलीकॉम, टाटा इन्डीकॉम, बोड़ाफोन, एयरटेल, ईनाडु), ग्रामीण बी पी ओ (एच डी एफ सी बैंक) निर्माण कार्य (अपाचे(आ दिदास शूज) और अतिथि सत्कार मैकडोनाल्ड, के एफ सी, पिज्जा कॉर्नर, कैफे कॉफी डे) क्षेत्र आदि ।

आई. बी. और सी. बी. में एन जी ओ की भूमिका : शिनाख्त किये गये अच्छे एन जी ओ विभिन्न पहलुओं में एस एच जी और उनके संघों के आई. बी. तथा सी. बी. में उनकी सेवाओं को उपलब्ध करा रहे हैं जैसे ग्रामीण आजीविका मिशन के पंचसूत्र, लेखाकार प्रशिक्षण, आजीविका आदि । वर्तमान में संपूर्ण भारत में एन आर एल एम के कार्यान्वयन हेतु व्यापक मानव संसाधनों की आवश्यकता है । इसीलिए एन जी ओ / सी एस ओ की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है ।

क्रियाकलाप :

प्रतिभागियों के 3 - 4 बैच बनाये जा सकते हैं । प्रत्येक समूह को एस एच जी संघ के निर्माण हेतु उपर्युक्त नीतियों में से एक पर कार्य सौंपा जाता है । संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रस्तुतीकरण द्वारा उन्हें एक साथ जोडा जा सकता है ।

विषय VII - एस एच जी एवं एस एच जी संघो के लिए क्षेत्र दौरा

उद्देश्य :

- फाईल किए गए / निचले स्तरों से (पडोसी गहन खंडो से) संस्थागत संरचना एवं उनके क्रियाकलापों के बारे में प्रथम दृष्टया सूचना प्राप्त करना ।

प्रत्याशित परिणाम :

- क्षेत्र दौरे के अंत तक एस एच जी एवं उनके संघों के जमीनी स्तर के क्रियान्वयन से संबंधित मुद्दों पर प्रतिभागियों का स्पष्ट रुख होना ।

पूर्ण अवधि : 360 मिनट

मॉड्यूल योजना :

क्र.सं.		विषय/शीर्षक	कवरेज	क्रियाविधि	सामग्री /साधन
1.	350 मिनट	प्रथम दृष्टया सूचना प्राप्त करना	एस एच जी एवं एस एच जी संघ, उनकी कार्यपद्धति, आजीविका, इन संस्थाओं के निर्माण में स्टेक होल्डरो की भूमिका	नजदीकी गहन खंड से फाईल किया गया परिचय	दौरा किए गए एस एच जी एवं संघो के बारे में हस्तपुस्तिका
2.	10 मिनट	सार	प्रश्न एवं उत्तर	बडे पैमाने पर समूह परिचर्चा	
कुल 360 मिनट					

विषय : VIII - आजीविका व्यवस्था

उद्देश्य :

- आजीविका की संकल्पना को समझना
- आजीविका को बढ़ावा देने वाले विभिन्न दृष्टिकोणों को समझना

- सतत योग्य आजीविकाओं को बढ़ाने के लिए समुदाय केन्द्रित पूर्वोपाय नीतियों की शिनाख्त करना

प्रत्याशित परिणाम

1 आजीविका व्यवस्था की संकल्पना को प्रतिभागी- समझने में समर्थ होंगे ।
2 आजीविका विकास की विभिन्न नीतियों को तैयार करने एवं शिनाख्त करने में प्रतिभागी समर्थ होंगे ।

समयावधि : 320 मिनट

उद्देश्य :

क्र.सं.		कवर किए जाने वाले विषय	उप - विषय	कियाविधि	सामग्री /साधन
1.	60 मिनट	आजीविका बढाने की संकल्पना	• आजीविका का अर्थ • आजीविका के पांच पूंजीगत ढांचा कार्य	विचार मंथन एवं प्रस्तुतीकरण	आजीविका स्कूल पुस्तक एफ ए ओ- सतत योग्य आजीविका ढांचा कार्य
2.	90 मिनट	विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेप	संभावित क्रियाकलाप	आजीविका समूहो से मामलो का अध्ययन	समूह परिचर्चा / अनुभव शेयरिंग/मामला अध्ययन/ फिल्म
3.	60 मिनट	नवोन्मेषी और पूर्वोपाय कार्य	आजीविका बढाने की नीतियां एवं कार्य	एन आई आर डी/एस ई आर सी/अन्य आजीविका मिशन एवं व्याख्यान से मामला अध्ययन	
4.	10 मिनट	सार	प्रश्न एवं उत्तर	बडे समूह की परिचर्चा	
कुल 320 मिनट - 1 घंटा 10/20 मिनट के सत्र के बाद 10 मिनट का विराम दिया जाए ।					

प्रशिक्षक को सलाह

आजीविका की परिभाषा उसकी रुपरेखा, आजीविका को बढ़ावा देने हेतु नीतियों पर बल दिया जाए ।

हैण्डआऊट

आजीविका की परिभाषा

आसान शब्दों में आजीविका का अर्थ ' जीवन यापन ' से है अर्थात विभिन्न क्रियाकलाप और संसाधन जो लोगों के जीवन के अभिप्रेत हैं । अलग - अलग लोगों की जीवन शैली भी भिन्न - भिन्न है । आजीविका की प्रारंभिक और एक आम प्रचलित परिभाषा के अनुसार '' आजीविका यानि जीवन यापन के लिए अपेक्षित क्षमतायें, संपत्तियां (सामग्री एवं सामाजिक दोनों को मिलाकर) और क्रियाकलापों का समावेश है । '' आजीविका सततयोग्य तब होती है जब ये तनाव और सदमों से उभरकर (अर्थात सूखा , बाढ़ इत्यादि) आते है तथा प्राकृतिक संसाधन आधार के भंडार को कम न आंकते हुए क्षमताओं और परिसंपत्तियों को बढ़ावा या बनाए रखती है । '' आजीविका समूह '' लोगों का समूह है जिनकी संसाधनों तक पहुँच समानरुप से है तथा ये सामाजिक और सांस्कृतिक समान मूल्यों को शेयर करते है तथा तुलनात्मक आर्थिक स्थिति है । यद्यपि, समान आजीविका समूह के लोग इसी समान प्रकार के जोखिम और संवेदनशीलता के प्रकारों का शेयर करते हैं । आमतौर पर यह देखा गया है कि एक भौगोलिक क्षेत्र में एक से अधिक आजीविका समूह उपलब्ध है । आजीविका एक से अधिक कारकों से निर्धारित होती है तथा विभिन्न प्रकार की सूचना से जुड़ी होती हैं जिसे समझने की आवश्यकता है । (स्रोत : आजीविका मूल्यांकन, एफ ए ओ) इस सूचना में सम्मिलित है :

- **संवेदनशील परिप्रेक्ष्य** - संवेदनग्राही परिप्रेक्ष्य तात्पर्य कारकों के पूर्ण रेंज से है जो लोगों की आजीविका पर प्रभाव डाल सकते हैं तथा उन्हे जोखिम में डाल सकते हैं । ये कारक निम्नानुसार है कारकों पर एक व्यक्ति का नियंत्रण हो भी सकता है और नही भी ।

  - **<u>दीर्घावधि प्रवृत्तियां जैसे</u>** - भूमि, भूमि निम्नीकरण, जलवायु परिवर्तन, मूल्य मुद्रा स्फीति एवं एच आई वी के फैलाव पर जनसंख्या का दबाव
  - **<u>आजीविका पर प्रभाव डालने वाले सदमें जैसे</u>** - सूखा, बाढ़, कृमि-कीट आक्रमण, बाजार गिरावट तथा विवाद / असुरक्षा आदि
  - **<u>मौसमपरक तनाव जैसे</u>**-अपेक्षित मौसम में बीमारी बाढ जल की कमी या खाद्य की कमी आदि ।

- **आजीविका संसाधन या परिसंपत्ति** सकारात्मक आजीविका निष्कर्षो को प्राप्त करने के लिए लोगों को संपत्तियों के रेंज की आवश्यकता है । आजीविका संपत्तियों में लोगों के पास क्या है यह मद सम्मिलित है अर्थात मानवीय, सामाजिक , प्राकृतिक एवं वित्तीय संसाधन आदि । वर्गीकृत ये पांच परिसंपत्तियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है तथा इनमें से कोई भी एकल परिसंपत्ति इतनी पर्याप्त नहीं है कि किसी दूसरे का समर्थन कर सके तथा ये अलग- अलग आजीविका निष्कर्षो को प्रदान करती है । मानव परिसंपत्ति मुख्यत: कौशलों, ज्ञान, शिक्षा, कार्य की योग्यता एवं अच्छे स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करते हैं ताकि लोग विभिन्न आजीविका नीतियों और आजीविका उद्देश्यों को प्राप्त कर सके । सामाजिक परिसंपत्ति समाज में स्थिति के साथ - साथ विस्तृत परिवारों तक पहुँच और अन्य सामाजिक नेटवर्को का प्रतिनिधित्व करती है । सामाजिक संसाधन वे भंडार है जिसकी पहुँच लोगों तक है तथा इसका उपयोग आजीविका के निर्माण में करते हैं जैसे - भूमि, वन,जल संसाधन । भौतिक परिसंपत्तियों में पशुधन, भूमि, आश्रम, औजार एवं उपकरण शामिल है तथा ये समुदाय

स्वामित्व हो सकता है उदा. के लिए सड़क आधारभूत संरचना आदि । वित्तीय परिसंपत्तियों में आय सम्मिलित है परन्तु इसमें कई रुपों में ऋण और निवेश की भी सुविधा है । इसमें नियमित रुप सो नकद का निर्गमन, प्रेषण (आहरण) पेन्शन भी सम्मिलित है ।

- **नीतियां, संस्थाये एवं प्रक्रिया** - नीतियां, संस्थाये और प्रक्रिया आदि मानव निर्मित महत्वपूर्ण बाहरी कारक है जो लोगों की आजीविका लक्ष्यों को प्राप्त करने में अवसरों और इन्हें आकार देता है । ये परिसंपत्तियों एवं सदमों की संवेदनशीलता की पहूँच को प्रभावित करते हैं सभी स्तरों पर तथा स्थानिय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक सभी क्षेत्र स्तर पर अर्थात प्राईवेट से सरकारी तक चलायमान हो सके । कृषि, भूमि या भूमि उपयोग नीतियों भी संकट की संवेदनशीलता को घटा या बढ़ा सकती है ।

- **आजीविका रणनीतियां** - क्रियाकलापों एवं विकल्पों के संयोजन के रेंज को आजीविका नीतियां कहते हैं तथा लोग अपनी आजीविका उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए निर्धारित या शांत समय में करते हैं (उदा. के लिए - उपयोगी क्रियाकलाप, निवेश नीतियां, पुन:प्रयोग विकल्प आदि) । आजीविका रणनीतियों को प्राकृतिक संसाधन आधारित क्रियाकलाप जैसे - कृषि, पशुधन पालन, बुनाई, संकलन एवं एकीकरण तथा गैर - प्राकृतिक संसाधन आधारित क्रियाकलाप जैसे - व्यापार, सेवायें, प्रेषण आदि में विभाजित किया जा सकता है । अधिकांश परिवार इन दोनों संयोजनों का प्रयोग कर रहें है । यदि लोगों की अजीविका नीतियों में अधिक विकल्प एवं व्यवहार्यता हो तो उनकी योग्यता भी बढ़ेगी या संवेदनशील परिप्रेक्ष्य में तनावों और सदमों के प्रति अधिक ग्राह्यता होगी ।

- **आजीविका निष्कर्ष या लक्ष्य -** आजीविका निष्कर्षो को तीन शीर्षेकों में वर्गीकृत किया जा सकता है : आर्थिक , जैविकीय एवं सामाजिक । बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समुचित आय एवं खाद्य एक आर्थिक निष्कर्ष है । मृत्युदर एवं कुपोषण दर या स्तर आदि आवश्यक रुप से आजीविका निष्कर्ष का जैविकीय मापदंड है । प्रतिष्ठा में समग्रता से तात्पर्य है जिसमें धारणाये जैसे - स्व- मूल्य और स्थिति का भाव निहित है यह स्पष्ट रुप से सामाजिक उपाय है तथा इसकी गणना करना कठिन है ।

आजीविका रुपरेखा

सतत योग्य आजीविका की रुपरेखा

मुख्य :

एच - मानव पूंजी
एन - प्राकृतिक पूंजी
एफ = वित्तीय पूंजी
एस = सामाजिक पूंजी
ओ = भौतिक पूंजी

इस रुपरेखा में पांच प्रकार की पूंजियो को माना गया है '' परिसंपत्तियां पांच '' और किस तरह इन परिसंपत्तियो को आजीविका रणनीतियों में नीतियो एवं संस्थाओं द्वारा रुपांतरित किया जाता है ।

आजीविका रणनीतियां से आजीविका निष्कर्ष प्राप्त होते है फिर इसके बाद परिवार पर संपत्ति सुधार भी हो सकता है या फिर पतन भी हो सकता है ।

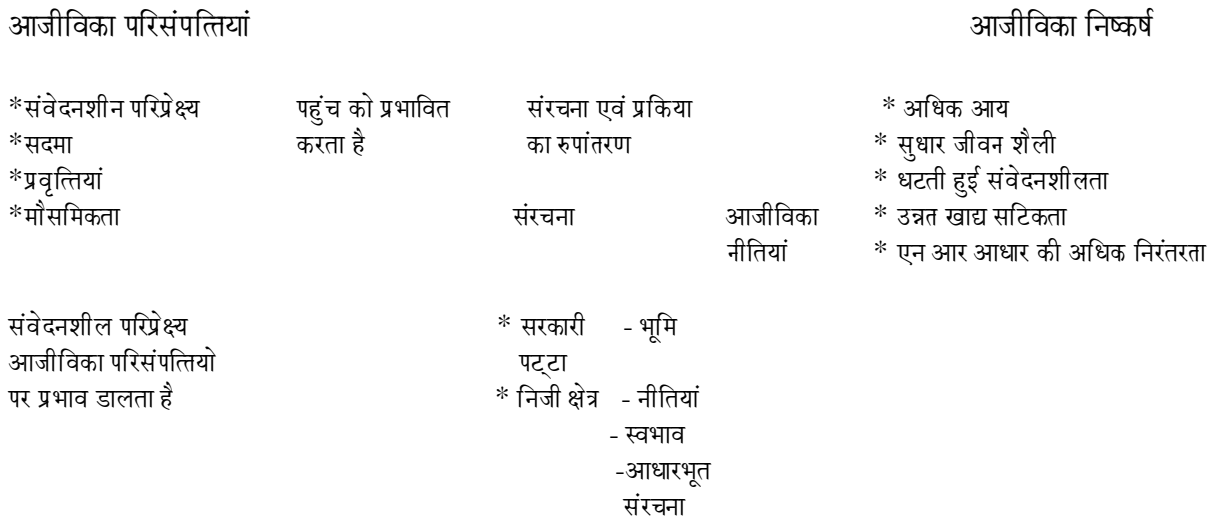

स्रोत : आजीविका मूल्यांकन एवं विश्लेषण, एफ ए ओ का ई - शिक्षा सीरिज ।

कार्य

प्रतिभागियों द्वारा विभिन्न निवेशो (पांच पूंजी - मानव, प्रकृतिक, सामाजिक, भौतिक एवं वित्तीय पूंजी) और परिचर्चा के माध्यम से उसकी महत्ता की शिनाख्त करें ।

आजीविका, बिहार का मामला अध्ययन

- **ए वी ओ जो इसकी पहल कर सकता है**

'' भुगतान कौन करेगा '' ? '' आप किसके लिए खरीद कर रहे है '' ऐसा बारडेला गांव (पुर्णीया) के किसान ने रविना खातुन से पूछा जो खनवा गांव के निराला वी ओ की अध्यक्ष है किसान ने 46 क्विंटल चावल पर बातचीत करते हुए कहा । कि उन्हें कभी यह विश्वास नहीं था कि ये साधारण पांच महिलायें - रविना खातून, सीता देवी, चंकी देवी, अनिता मुरमु, तारिया खातून मिलकर इतनी बड़ी मात्रा में खरीद करेगी

। यहां तक कि उन्होंने दाम को भी, अंतिम रुप दिया और ट्रक को भी किराए पर लिया परन्तु उन्हे विश्वास ही नही हो रहा है कि वे उसी स्थान और उसी समय पर पैसों का भुगतान करेगी । उन्हे विश्वास ताब हुआ जब रविना खातून ने रु. 58,650 की राशि को रु 1275/- प्रति क्विंटल की दर से (इसमें परिवहन एवं जूट की थैलियां भी शामिल है) भुगतान किया । ये कर्मठ महिलायें ट्रक पर चढ़ी तथा मार्ग में मिलने वाले प्रति एस एच जी पर माल की उतराई की । वजन की समस्या को दूर करने के लिए चावल को 50 कि. ग्रा. की थैलियों में पैक किया गया समूह को उन्होने रु. 1500/- प्रति क्विंटल के हिसाब से चावल की ढूलाई की तथा नौ एस एच जी के 92 परिवारों को चावल की आपूर्ति कर लाभ अर्जित किया । जबकि बाजार भाव रु. 1400 - 1500 प्रति क्विंटल था । महत्वपूर्ण बात यह थी कि चावल की खरीद वी ओ सहित सी आई एफ से की गई ।

वी ओ स्तर इस पहल को (नवंबर, 2008) सरकारी तौर पर खाद्य सुरक्षा योजना से बहुत पहले प्रारंभ किया गया । एक निराला के वी ओ सामूहिक विपणन द्वारा प्रेरित हुए जिसे अहमदुल्लिलाह समूह एक एस एच जी द्वारा प्रारंभ किया गया ।

- **समूह कार्य को समर्थन**

जून का दूसरा सप्ताह चल रहा था । वास्तव में बारीश का मौसम शुरु नही हुआ था । फिर भी आपको गिदारही गांव (पूर्णीया जिला) पहुँचने के लिए घुटने तक पानी से होकर गुजरना था । बारीश के मौसम में जल स्तर और बढ़ जाता है तथा संचार प्रक्रिया बहुत ही कठिन हो जाती है । एक चाचरी पुल (बांस से निर्मित एक अस्थायी बांध) जिसका उपयोग आवागमन हेतु किया जाता है बारीश में इस्तेमाल नही किया जाता । इस मुद्दे पर चर्चा प्रकाश जीविका ग्राम संगठन बैठक में की गई । ये विशिष्ट रुप से संथाल महिलाओं (अनुसूचित जनजाति) के लिए गठित की गई है । '' जिनके पास बांस के खेत है वे बांस का दान करें ताकि चाचरी पुल की मरम्मत की जा सके । '' ऐसा ऊषा बेसरा ने प्रस्ताव रखा जो जीवन प्रकाश एस एच जी की एक सदस्य है । उसके बाद मेरी मुरमु ने जो जीवन ज्योति एस एच जी की सदस्य है उन्होने भी कहा कि '' जिनके पास बांस है वे बांस दें तथा अन्य लोग राशि का अंशदान करें ताकि इससे रस्सी और अन्य वस्तुओं की खरीद की जा सके जो चाचरी पुल की मरम्मत के लिए आवश्यक हे । अंत में यह निर्णय लिया गया है कि इसमें गांववालों का सहयोग भी मांगा जाए परन्तु सदस्य बांस देने को तैयार हो गए तथा रस्सी खरीदने के लिए ओर मजदूरी देने के साथ - साथ श्रमदान करने हेतु तैयार हो गए ।

- **सुजनी की शुरुआत**

पारंपरिक ग्रामीण कलाओं का उचित परिमार्जन एवं पैकेजिंग से यह उन्नत बाजार उत्पाद में विकसित हो सकता है । इसे दो गांवों में जीविका द्वारा उत्प्रेरित किया जा रहा है । ये गांव है - मुजफ्फर पुर जिले में बोचहा खंड तथा रसफुद्दीनपुर एवं मदन चौपार आदि । इसे दो वी ओ - दुर्गा और चांदनी द्वारा प्रेरित किया गया है तथा इसका उद्देश्य अपवंचित वर्ग की महिलाओं की मदद करना है ताकि वे आय अर्जित कर गरीबी का

उन्मूलन कर सके । वी ओ की मांग पर बी आर एल पी ने दो चरणों में प्रशिक्षण का आयोजित किया । कार्यक्रम का आयोजन नामी वस्त्र और डिजाईनरर्स से किया गया जो दिल्ली आधारित एजेन्सी से संबधित थे । कुल मिलाकर 15 महिलाओं ने सुजनी में प्रशिक्षण प्राप्त किया । इसमें दो चयनित महिलाओं जैसे - शकुंतला देवी एवं नजमा को दिल्ली में आमंत्रित किया गया । महिलाओं ने सुजनी को साडियों, कालीन, थैलियों लैम्प कवर्स इत्यादि पर अंकित किया । इन महिलाओं को ये कहा गया है कि वे अपने कार्य पर लागे रहें तथा इनका संकलन किया जाएगा और समुचित रुप में उनका भुगतान किया जाएगा । इनके कार्यो की उच्च मांग है तथा कई एजेन्सियां इस कला कार्य की खरीद हेतु उनके पास आ रहे हैं ।

- **एस आर आई - 4 मन प्रति कत्था**

चावल सघनीकरण सिस्टम (एस आर आई) के विचार के प्रति मेरे पति बिल्कुल भी सहमत नही थे । '' यदि यह असफल हुआ तो हम क्या करेंगे । '' ऐसा उन्होने कहा । परन्तु मैं संतुष्ट थी । हमारे पास दो कत्था का प्लॉट था जो कई वर्षो से परती भूमि रही है विशुद्ध भूमि, जिस पर कई सालों से खेती नही की गई मैं और मेरे बेटे ने इस परती भूमि की खुदाई की और इसे कृषि योग्य बनाया । हमने दर्शाए अनुसार मेड तैयार की तथा लवण घोल का उपयोग करते हुए बीज का ट्रीटमेंट किया । बीज की नर्सरी तैयार की और 12 वें दिन बीजारोपण किया । '' खेत को खराब करने और ऊर्जा को व्यर्थ गंवाने में आप ही जिम्मेदार होगें । आठवें दिन के बाद बीजावकुंर होने तक मेरे पति मुझे ताने मारते ही रहे । रोपण जैसे जैसे बढ़ता गया लोग प्रभावित होते गए । अंतत: अब हमें प्रति कत्था 4 मन ऊपज प्राप्त हुई जो हमारे प्लॉटों से प्राप्त उत्कृष्ट ऊपज से 4 गुणा बढ़कर थी । मेरे पति अब मान गए और एस आर आई पद्धति को धान रोपण के लिए उपयोगी बताया '' ऐसा भुसिया गांव की सुनिता देवी ने बताया यह गांव गया जिले में पड़ता है ।

नवोन्मेषी और पूर्वोपाय कार्य

ग्रामीण गरीबों के लिए जीवन आधारित आय सृजन अवसरों को सृजित करने के लिए विकास एजेन्सियों / विभागों द्वारा पूर्वोपाय कार्यो को प्रारंभ करना होगा । तथापि इसका तात्पर्य विभिन्न समानांतर विभागों से अनुसरण स्थापित करना है । ऐसे अभिसरण से आजीविका की व्यापकता निश्चित रुप से बड़ी होगी । मंडल महिला समाख्या (एम एम एस) के लिए कानूनी वैधता दिलाने हेतु आन्ध्र प्रदेश सरकार की पहल से इन संस्थाओं का सरकार से एन जी ओ से, बीमा फार्मो प्रौद्योगिकी फार्मो एवं समानांतर एजेन्सियों के साथ व्यापार साझेदारी स्थापित करने में मदद मिली है । आजीविका सृजन हेतु इनमें से कुछ नवोन्मेषी और पूर्वोपाय कार्य इस प्रकार है (स्त्रोत : एस ई आर पी के साथ - साथ एन आई आर डी में आयोजित नवोन्मेषी कार्यो पर कार्यशाला)

- **बृहद मात्रा में खरीद के साथ खाद्य सुरक्षा :** आन्ध्र प्रदेश के कुछ जिलों में एस एच जी सदस्यों द्वारा थोक भाव पर बड़ी मात्रा में खाद्य दालों एवं अन्य प्रावधानों की खरीद की गई । ये प्रयोग ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन समिति द्वारा किया गया । इस कार्य के अंतर्गत वैयक्तिक प्रावधान (चावल, दाल, ईमली

मिर्ची, नमक इत्यादि की आवश्यकताओं को बाजार में विपुल मात्रा में भरा गया है ।) आवश्यकता पड़ने पर एस एच जी सदस्यों को ग्राम स्तरीय एस एच जी संघ द्वारा ऋणों को प्रदान किया गया ताकि लेन -देन की सुविधा दी जा सके । एस एच जी के कार्यालय वाहक एवं एस एच जी संघ के सदस्यों को सूचना एकत्र करने हेतु प्रशिक्षित किया गया । जैसे - वैयक्तिक एस एच जी सदस्यों की मांग ओर एस एच जी स्तर पर सामूहिक रुप से की गई मांग पर सूचना तथा ग्राम संघ स्तर पर एवं एम एम एस स्तर (खंड संघ स्तर) एवं प्रति माह जिला सामाख्या स्तर पर सूचना जिसे बाद में मार्केट लॉट में बदला जाएगा ।

एम एम एस स्तर पर प्रत्येक एस एच जी सदस्य की आवश्यकता के अनुसार इन आपूर्ति सामान को मानक मेट्रिक इकाईयों (कि.ग्रा. / लीटर्स) में पैक किया गया तथा ग्राम स्तर संघों के मार्गों के अनुसार छंटनी की गई तथा तद्नुसार घर पर वितरण किया गया । इस संपूर्ण प्रक्रिया को पारदर्शी तथा सहभागी रुप में किया जाता है । इस कार्य के साथ स्व- सहायता समूह के सदस्य और इनके नेताओं ने थोक और फुटकर बाजार की गति को तज किया । इस प्रक्रिया से क्रमशः उनका आत्म विश्वास बढ़ा है ।

- **कार्पोरेट क्षेत्र के साथ साझेदारी :** छोटे समूह के उत्पादों जैसे - शहद, (डॉबर एवं विप्रो के साथ गठबंधन) तथा ईमली (गिरीजन सहकारिता निमग, विशाखापट्टनम) को बेचने हेतु कार्पोरेट निकायों के साथ पब्लिक - प्राईवेट साझेदारी ने बेहत्तर कार्य किया है । सेवा क्षेत्र में भी एस एच जी समूहों ने बेहत्तर कार्य किया है जैसे - कोयम्बतूर (तमिलनाडु) में एस एच जी द्वारा कुरियर सेवा प्रदान की जा रही है, पब्लिक सेक्टर बैंको (बिदर, कर्नाटक) के लिए ऋण वसूली परिचालन, प्राईवेट बीमा कंपनियों (विजयानगरम , आन्ध्र प्रदेश) के लिए अधिकारिक रुप में सचल / पशु बीमा प्रिमियम की वसूली करना, अस्पतालों में हाऊस कीपिंग (तमिलनाडु), ग्रामीण स्कूलों के लिए मध्याह्न भोजन की सेवा, आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय वृद्धायु पेंशन का संवितरण आदि समानांतर उदाहरण ही है ।

- **समुदाय प्रबंधित सूक्ष्म बीमा :** अपने एस ई आर पी के द्वारा आन्ध्र प्रदेश सरकार ने समुदाय संचालित सूक्ष्म बीमा को विकसित किया है जिसका उद्देश्य एस एच जी के द्वारा ग्रामीण गरीब परिवारों के सक्रिय कार्यरत सदस्यों का बीमा करवाना है । एस ई आर जी ने व्यापार आकार की रुपरेखा तैयार करने तथा भारतीय जीवन बीमा निगम (एल आई सी) एवं सामानांतर बीमा कंपनियों की शिनाख्त करने के पूर्वोपाय कार्य को प्रारंभ किया है इस स्कीम को लागू करने के लिए इसने वर्तमान बीमा योजनाओं, आम आदमी बीमा योजना (ए ए बी वाई) , जनश्री बीमा योजना (जे वी वाई) आदि को एल आई सी द्वारा चलाया जा रहा है । इसके अलावा ऋण बीमा (सी आई) एवं पशु बीमा को कार्यान्वित करने के लिए अन्य बीमा कंपनियों के साथ गठबंधन किया गया है । इन चार बीमा कार्यक्रमों के साथ आय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यरत गरीबों की आस्तियों के लिए भी बीमा किया गया है ।

नोट करने वाली उल्लेखनीय बात ये है कि इन कार्यो को लाभभोगियों की सहभागिता से पूर्णतः परिचालित किया गया । सामाजिक निवेश जैसे जागरुकता, वित्तीय अनुशासन एवं 1-14 करोड़ एस एच जी सदस्यों का नेटवर्क , एस एच जी नेता, समुदाय संसाधन व्यक्ति तथा 18 वर्षो के दौरान प्रशिक्षित

कार्यकर्त्ताओं का उपयोग इस उद्देश्य हेतु किया गया । इस स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए एस ई आर पी ने जिला समाख्या (एस एच जी संस्थाओं का जिला स्तर संघ) को अधिकार प्रदान किया हैं । ग्राम स्तर दल जिसमें आधा दर्जन से अधिक एस एच जी समूह एवं ग्राम स्तर संघ के कार्यालय वाहक सम्मिलित हैं को प्रशिक्षित किया गया एवं स्कीम में वैयक्तिक सदस्यों को भर्ति से प्रतिनियुक्त किया गया । प्रत्येक सदस्य को उपयोगकर्ता शुल्क के रुप में रु. 10/- की राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है । इसके अलावा 50 : 50 आधार पर केन्द्र ओर राज्य सरकार द्वारा रु. 200 प्रति सदस्य प्रति वर्ष प्रिमियम की राशि देय होगी । मृत्यु या स्थायी विकलांगता होने पर परिवार को रु. 75,000 की राशि दी जएगी या तथा दुर्घटना के मामले में रु. 37500/- की राशि दी जाएगी । ये योजना गरीब और भूमिहीन कृषक मजदूरों के लिए प्रदान की गई है ।

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने जिला समाख्या को (जी ओ सं. 93 देखें) ये अधिकार प्रदान किया है कि वे आधा दर्जन से अधिक पैरा - विशेषज्ञों (उनका पारिश्रमिक को बीमाकृत परिवारों से वसूल किए गए सेवा शुल्क से भुगतान किया जाए) को अस्थायी तौर पर नियुक्त करें ताकि बीमा योजना को संचालित किया जा सके । इस उद्देश्य हेतु कस्टम डिजाईन सॉफ्टवेर को प्रदान किया जाए । ये पैरा विशेषज्ञ जिला स्तर पर चौबीसों घंटे कॉल सेंटर चलायेंगे जो वेब बेस पर एल आई सी के साथ नेटवर्क बनाए रखेंगे । कॉल सेंटर कंप्यूटर, इंटरनेट सुविधा, स्कैनर, प्रिंटर की सुविधा उपलब्ध होगी तथा ये 108 एम्बुलेंस सेवा से जुड़ा रहेगा । मृत्यु की सूचना पर तत्काल ही कॉल सेंटर से बीमा- मित्रा द्वारा एल आई सी को इंटरनेट द्वारा संदेश भेजा जाएगा । कॉल सेंटर में स्थित ऑपरेटर मृत्यु संदेश संबंधित ग्राम संगठन के बीमा मित्रा द्वारा भेजा जाएगा वे परिवार से भेंट करेंगे और मृतक के परिवार के वारिस को रु. 5000 के भुगतान की व्यवस्था करेगें तथा नामित द्वारा विधिवत भरे गए दावा -सह मुक्त फार्म को प्राप्त करेंगे । एम एम एस सदस्य जो बीमा -मित्रा गांव के साथ जुड़े हुए है वे दस्तावेजों को (6 दिवस) में प्रस्तुत करेंगे । बीमा मित्रा जिनकी संख्या राज्य में लगभग 500 के करीब है उनके पास सेल फोन, बैंक खाता, ए टी एम कार्ड एवं दावा-सह -डिस्चार्ज फार्म के संपूर्ण सेट आदि दिया गया है । बीमा मित्रा के पास सेवा शुल्क और मात्रा के रुप में प्रति दौरा रु. 100/- की राशि दी जाएगी । कॉल सेंटर स्टॉफ विधिवत रुप भरे दावा-सह-डिस्चार्ज फार्म , मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं अन्य कागजात को प्राप्त कर एक आई सी को स्कैन करेंगे तथा मूल पेपरों को मेल करेंगे । एल आई सी द्वारा दावा राशि को दो दिनों के भीतर राशि प्रेषित करेंगी तथा ऑन-लाईन सिस्टम के द्वारा कॉल सेंटर को आश्वस्त करेंगें 1 जिला समाख्या तत्पश्चात रु. 5000 धनराशि जो बीमा मित्रा के द्वारा दी गई थी कटौती कर आ नंतिम भुगतान करेगी । इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था प्रभावी रुप से कार्य करेगी ।

विषय : IX - सूक्ष्म ऋण योजना

उद्देश्य :

- सूक्ष्म ऋण योजना की संकल्पना एवं प्रक्रिया से प्रतिभागियों को परिचित कराना,
- एम सी जी के परिचालनीकरण एवं तैयारी में विभिन्न भूमिका अदाकर्ताओं की भूमिका को समझना

प्रत्याशित निष्कर्ष

- एम सी जी की संकल्पना और प्रक्रिया का आंतरिकीकरण करना एवं प्रचालनीकरण में मुख्य स्टैकहोल्डरों की भूमिका ।

समय : 90 मिनट

माड्यूल योजना :

क्र.सं.	समय	विषय	उप - विषय	क्रियाविधि	साधन
1.	20 मिनट	एम सी पी की प्रस्तावना	• एम सी पी किसे कहते है ? • एम सी पी का महत्व	छोटे समूह परिचर्चा के बाद फिल्म दर्शाना	पी पी टी /चार्टस एस ई आर पी से फिल्म
2.	30	एस एच जी स्तर पर एम सी पी की प्रक्रिया	• एम सी पी प्रकिया - सात चरण • ऋण आवश्यकताओं की प्राथमिकता	फिल्म आधारित परिचर्चा, समूह परिचर्चा	फिल्म पी पी ई / चार्ट्स
3	30	एस एच जी संघ का एम सी पी	• प्रक्रिया एवं एम सी पी का मूल्यांकन • स्टेकहोल्डर की भूमिका	विचार मंथन एस जी डी	पी पी टी / चार्ट्स
4	10	सार	• प्रश्न एवं उत्तर	बडे समूह की परिचर्चा	
कुल 90 मिनट - 1 घंटा 10/20 मिनट के सत्र के बाद 10 मिनट का विराम दिया जाए					

हैण्ड आऊट

एम आर एल एम इस तथ्य पर आधारित है कि गरीबों के पास स्वयं की मदद के लिए अपार इच्छा शक्ति और संभवनायें होती हैं । गरीबों के संगठन से उनके समाजार्थिक विकास के लिए ऊर्जा का उपयोग करने और दोहन करने में मदद मिलेगी । उनके पास भीतरी कौशल, अनुभव, और उनके चारों ओर संभावनाओं तक पहुँचने के लिए बुद्धि होती है जिससे वे आजीविका को बढ़ा सकते हैं और निर्धनता से बाहर

निकल सकते हैं । सूक्ष्म ऋण योजना इन कौशलों को तथा ऋण तक पहुचते हुए आय सृजन क्रियाकलापों में अनुभव को प्रयुक्त करने में मदद देती है यह प्रलेखन एस ई आर जी द्वारा किया गया तथा सार को नीचे दिया गया है :

एस एच जी का प्रत्येक सदस्य परिवार निवेश योजना को तैयार करेगा एवं सदस्यों के सभी परिवार निवेश योजनाओं को समेकित करेगा वह सूक्ष्म ऋण निवेश योजना होगी । इस योजना में आय सृजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, खपत, आवास एवं अन्य सामाजिक आवश्यकताओं यदि हो तो पर प्रकाश डाला जाएगा । यह योजना प्रक्रिया उन्मुख प्रलेखन है जो परिवार स्तर पर, एस एच जी एवं उनके संघ स्तर पर कई बार संपन्न हुए बातचीत का निचोड़ है । सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि एम सी पी एक निचले स्तर की योजना है जिसे सदस्यों ने स्वंय बनाया है । इस योजना में 7 चरण प्रक्रिया शामिल है ।

- एस एच जी की व्यापक रुपरेखा में एस एच जी के बारे में विस्तृत जानकारी (नाम, गांव, सदस्यों की संख्या, बैंक खाता संख्या) बचत की जानकारी एवं ऋण एवं पंचसूत्र अभ्यास की स्थिति आदि सम्मिलित है ।
- सभी सदस्यों की समाजार्थिक रुपरेखा में आयु जाति, वृत्ति, परिवार सदस्य, परिसंपत्तियों की जानकारी जैसे (मकान का प्रकार, भूमि, पशुधन एवं अन्य संपत्ति) एवं निर्धनता स्थिति आदि सम्मिलित है ।
- पारिवारिक आय एवं व्यय की सदस्य वार जानकारी ।
- लागत एवं पुनर्भुगतान अनुसूचियों के साथ उनके द्वारा शिनाख्त किए गए अवसरों पर सदस्य का कार्य शिनाख्त किए गए क्रियाकलाप, निवेश लागत, निधियों के स्रोत (मार्जिन, ऋण, सब्सिडी इत्यादि) पारिवारिक आय एवं व्यय एवं ऋण किश्तों पर आधारित पुनर्भुतान की योग्यता एवं गणना आदि ।
- गरीब से अति गरीब सदस्यों के लिए प्राथमिकता योजना - ऋण को प्राथमिकता आधार परकिए जाने की आवश्यकता अंतिम एवं मूल्यांकित, निर्धनता रैकिंग के अलावा प्राथमिकता आधारित मौसमिक कार्य आदि । प्राथमिकता श्रेणी को आपातकाल में गणना की जाए ।
- शेष सदस्यों के लिए चक्रावर्तन एवं समूह के साझेदारी का संदर्भ - इन शर्तो में पंचसूत्र, ऋण के उपयोग हेतु शर्ते, गैर - ऋणी सदस्यों द्वारा संपत्ति की जांच आदि ।
- सदस्य एवं एस एच जी, एस एच जी एवं उनके संघ के बीच साझेदारी शर्ते - पंचसूत्र, ऋण के उपयोग की शर्ते, गैर- ऋणी सदस्यों द्वारा संपत्ति की जांच, मानदंड एवं गुणों की जारी एवं मंजूरी हेतु एस एच जी ग्रेडिंग इत्यादि 1

क्रियाकलाप :

प्रतिभागियों को समूह में बांटा जाए एवं इन दो समूहों द्वारा एस एच जी सदस्य के रुप में स्वंय को आंकते हुए सूक्ष्म ऋण योजना को तैयार किया जाए एवं दो अन्य समूह एस एच जी संघ के रुप में कार्य करेंगे ।

X. पूर्वावलोकन

उद्देश्य :

- सीखे गए मुख्य पाठों का मूल्यांकन करना एवं स्मरण करना
- संपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम पर प्रतिनिवेश प्राप्त करना

अनुसूची :

क्र.सं.	समय	विषय	कवरेज	कियाविधि	अपेक्षित सामग्री
1.	25 मिनट	पूर्वावलोकन	• सभी माड्यूलों के मुख्य संदेशो का स्मरण	बडे समूह की परिचर्चा	
2.	60 मिनट	प्रतिभागियो द्वारा सीखे गए मुख्य पाठो का मूल्यांकन	• प्रतिभागियो के द्वारा सीखे गए मुख्य पाठों का मूल्यांकन	वैयक्तिक कार्य : कार्यक्रम से सीखे गए मुख्य पाठों को लिखने का अनुरोध करना एवं पेपर परिचालित करना	पेपर एवं पेन
3	15 मिनट	प्रतिनिवेश	• कार्यक्रम से प्रतिनिवेश प्राप्त करना	वैयक्तिक कार्य : प्रशिक्षण पर प्रतिनिवेश कार्य निष्पादन का उपयोग करना	कार्य निष्पादन प्राप्त करने के लिए
4.	कुल समय 100 मिनट				

संदर्भ

1. नाबार्ड द्वारा एस एच जी गठन पर हस्तपुस्तिका
2. ए पी एम ए एस, हैदराबाद द्वारा एस एच जी संघ पर प्रशिक्षकों की हस्तपुस्तिका
3. एस ई आर पी, हैदराबाद द्वारा समुदाय प्रशिक्षक प्रशिक्षण पुस्तिका
4. आजीविका मूल्यांकन एवं विश्लेषण, एफ ए ओ का ई-शिक्षण सीरीज
5. एन आर एल एम मिशन दस्तावेज
6. एन आर एल एम के अंतर्गत नवोन्मेषी एवं पूर्वोपाय दृष्टिकोण पर कार्यशाला के कार्यवृत्त, 22-24 मई, 2013
7. एस जी एस वाई पर ऋण संबंधी मुद्दों पर रिपोर्ट - प्रो. आर राधाकृष्ण द्वारा
8. एस ई आर पी का वेबसाईट
9. एम ओ आर डी का वेबसाईट